

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या-98

जिसका उत्तर 27 जून, 2019 को दिया जाना है।

विद्युत प्रशुल्क के लिए नियम

\*98. श्री डी. के. सुरेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा देश में विद्युत प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए बनाए गए नियम/मानदंड क्या हैं;
- (ख) क्या देश में निजी विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्रभारित किए जा रहे विद्युत प्रशुल्क अन्य विकासशील/विकसित देशों में प्रभारित प्रशुल्क की तुलना में बहुत अधिक हैं;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और
- (घ) सरकार द्वारा विद्युत प्रशुल्क को तर्क-संगत बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

"विद्युत प्रशुल्क के लिए नियम" के बारे में लोक सभा में दिनांक 27.06.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 98 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

(क) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 से धारा 64 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार समुचित विद्युत विनियामक आयोग उत्पादन कंपनी द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत के प्रदाय, विद्युत के पारेषण, विद्युत के चक्रण और विद्युत की खुदरा बिक्री के लिए विद्युत टैरिफ निर्धारित करेगा। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 और टैरिफ नीति समुचित आयोग द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों और निबंधन एवं शर्तों की व्यवस्था करती हैं। संगत उद्धरण की प्रति **अनुबंध** में दी गई है।

(ख) से (घ) : विद्युत वितरण प्रशुल्क संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है। वितरण टैरिफ विद्युत की आपूर्ति की वास्तविक लागत, टैरिफ मानकों और सब्सिडी, यदि उपभोक्ताओं के किसी वर्ग को दी गई है, पर निर्भर रहते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग होती है। इसी प्रकार से, अन्य विकासशील/विकसित देशों में विद्युत टैरिफ एनर्जी मिक्स, विद्युत बाजार संरचना, उस देश में प्रचलित नियमों और विनियमों पर निर्भर करती है।

भारत सरकार ने इस तथ्य को नोट किया कि टैरिफ के विभिन्न संख्याओं के स्लेब हैं और विद्युत खुदरा आपूर्ति के लिए विभिन्न राज्यों में उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियां मौजूद हैं। उपभोक्ताओं की श्रेणियों का सरलीकरण करने के लिए सिफारिशें देने के वास्ते सरकार द्वारा समिति गठित की गई थी। इस समिति की सिफारिशें और पणधारकों के साथ आगे विचार-विमर्श के आधार पर, टैरिफ स्लेबों एवं उपभोक्ताओं की श्रेणियों में कमी सहित उपयुक्त परिवर्तनों का प्रस्ताव प्रारूप टैरिफ नीति में किया गया है।

\*\*\*\*\*

"विद्युत प्रशुल्क के लिए नियम" के बारे में लोक सभा में दिनांक 27.06.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 98 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**धारा 61 (प्रशुल्क विनियमन)**

समुचित आयोग, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट करेगा और ऐसा करते समय निम्नलिखित से मार्गदर्शित होगा, अर्थात:-

- क. उत्पादन कंपनियों और पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों को लागू टैरिफ के अवधारण के लिए केंद्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट सिद्धांत और प्रणाली-विज्ञान;
- ख. विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण और प्रदाय का वाणिज्यिक सिद्धांतों पर किया जाना;
- ग. वे बातें जो प्रतिस्पर्धा, दक्षता, संसाधनों के मितव्ययी उपयोग, अच्छा कार्य निष्पादन और अधिकतम विनिधान को प्रोत्साहित करें;
- घ. उपभोक्ताओं हितों के संरक्षण के साथ-साथ युक्तियुक्त रीति से विद्युत लागत की वसूली;
- ङ. निष्पादन में दक्षता को पुरस्कृत करने वाले सिद्धांत;
- च. बहु वर्ष टैरिफ सिद्धांत;
- छ. टैरिफ उत्तरोत्तर विद्युत प्रदाय की लागत को प्रतिबिंबित करता है और समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के भीतर प्रतिसहायिकी कम होती जाती है तथा समाप्त हो जाती है;
- ज. ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के सह-उत्पादन और उत्पादन का संवर्धन;
- झ. राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति :

परंतु विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 और अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों के अधीन टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें, जैसी वे नियत तारीख के ठीक पूर्व थीं, एक वर्ष की अवधि के लिए या तब तक जब तक कि इस धारा के अधीन टैरिफ के लिए निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट नहीं की जातीं, इनमें से जो पूर्वतर हो, लागू बनी रहेंगी।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-926

जिसका उत्तर 27 जून, 2019 को दिया जाना है।

बिहार में विद्युत की मांग और आपूर्ति

926. श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर बिहार में विद्युत की मांग और आपूर्ति से संबंधित कोई सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या देश में विद्युत की मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है लेकिन आपूर्ति अपर्याप्त है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) सरकार द्वारा इस देश में विशेषकर बिहार के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : जी हाँ। 19वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) रिपोर्ट में बिहार सहित प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए वर्ष 2016-17 से 2026-27 के लिए विद्युत मांग अनुमान तथा वर्ष 2031-32 और 2036-37 के लिए भावी विद्युत मांग अनुमान शामिल है। वर्ष 2026-37, 2031-32 एवं 2036-37 तक बिहार राज्य के लिए विद्युत केंद्र बस बार में अपेक्षित वैद्युत ऊर्जा मांग क्रमशः 54363 मिलियन यूनिट (एमयू), 68374 एमयू और 82978 एमयू है।

(ख) और (ग) : 31.05.2019 की स्थिति के अनुसार, देश में संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 357 गीगावाट (जीडब्ल्यू) है जो कि देश की व्यस्ततम विद्युत मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। चालू वर्ष 2019-20 (मई, 2019 तक) के दौरान व्यस्ततम मांग लगभग 183 गीगावाट है।

(घ) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। बिहार के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित सभी उपभोक्ताओं को विद्युत उपलब्ध कराना संबंधित राज्य सरकारों/विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। भारत सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), समेकित विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) सहित अपनी योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों की सहायता करती है। ये योजनाएं वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने/गिड संबद्धता और सभी को 24x7 विद्युत उपलब्ध कराने के लिए उनकी सहायता करती है।

भारत सरकार केंद्रीय विद्युत उत्पादन केंद्रों (सीजीएस) से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत आबंटित कर उनकी सहायता करती है। वर्तमान में, बिहार को केंद्रीय उत्पादन केंद्रों से 3709 मेगावाट विद्युत आबंटित की गई है। राज्य किसी मांग एवं आपूर्ति के अंतर को पूरा करने के लिए विद्युत विनिमयों सहित बाजार के माध्यम से भी विद्युत की खरीद कर सकते हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-932

जिसका उत्तर 27 जून, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत वितरण कंपनियों हेतु प्रशुल्क सारणी

932. श्री रवनीत सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने लोगों में फैल रहे भ्रम को रोकने के लिए विद्युत वितरण कंपनियों की जटिल प्रशुल्क सारणी को सरल करने का प्रयास किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ख) क्या सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों के ऋण को कम करने के लिए उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार का उच्च विद्युत-मूल्य प्रभारित करने के माध्यम से औद्योगिक उपभोक्ताओं और खुदरा उपभोक्ताओं के बीच होने वाले क्रॉस सब्सिडाइजेशन को रोकने का विचार है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : उपभोक्ताओं की श्रेणियों को सरल बनाने के लिए सिफारिशें देने हेतु विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं जिनमें टैरिफ स्लैबों और उपभोक्ताओं की श्रेणियों में कमी करना शामिल है। समिति की सिफारिशों तथा पणधारकों के साथ आगे परामर्श के आधार पर प्रारूप टैरिफ नीति में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

(ख) : विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय टर्नअराउंड के लिए विद्युत मंत्रालय में 20 नवंबर, 2015 को उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) नामक एक योजना घोषित की थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक तथा वित्तीय दक्षता में सुधार करना था। वित्तीय टर्नअराउंड के लिए योजना में परिकल्पित प्रमुख कदमों में से एक कदम यह था कि राज्य स्वामित्व वाले डिस्कॉमों के अधिकांश ऋण राज्यों द्वारा वहन किए जाएंगे।

(ग) और (घ) : टैरिफ नीति, 2016 में प्रावधान है कि राज्य सरकारें विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार जिस सीमा तक भी उपयुक्त समझें, सब्सिडी दे सकती हैं तथा सभी के लिए टैरिफ में क्रॉस सब्सिडी देने के तंत्र की अपेक्षा उपभोक्ताओं की गरीब श्रेणियों की सहायता करने के लिए सीधे सब्सिडी एक अच्छा तरीका है। क्रॉस सब्सिडी के विकल्प के रूप में राज्य सरकार के पास विद्युत शुल्क के तंत्र के जरिए संसाधन जुड़ाने तथा केवल जरूरतमंद उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी देने का विकल्प है। टैरिफ नीति, 2016 में यह अपेक्षा भी है कि उपयुक्त आयोग एक रोडमैप अधिसूचित करे जिससे टैरिफ आपूर्ति की औसत लागत के +20% के भीतर रहे।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-947

जिसका उत्तर 27 जून, 2019 को दिया जाना है ।

प्रत्येक घर को बिजली

947. श्री कनकमल कटारा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का देश के प्रत्येक घर को बिजली प्रदान करने के अपने वादे को पूरा करने का प्रस्ताव है;
- (ख) यदि हां, तो ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में उन घरों की राज्य-वार संख्या कितनी है, जिन्हें 31 मार्च, 2019 तक बिजली उपलब्ध कराई गई है;
- (ग) राजस्थान में ऐसे घरों की संख्या कितनी है, जहां 31 मार्च, 2019 तक बिजली नहीं पहुँची है; और
- (घ) 'सौभाग्य' योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 2019 तक प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित और स्वीकृत की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : देश के सभी ग्रामीण घरों में और शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब घरों को अंतिम छोर की कनेक्टिविटी तथा विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराकर सभी घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अक्टूबर, 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य की शुरुआत की।

(ख) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सौभाग्य की शुरुआत के पश्चात ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों सहित 2.63 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। राज्य-वार आंकड़े **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

(ग) : राजस्थान सरकार ने सौभाग्य पोर्टल पर पहले अद्यतन किया था कि 31.03.2019 तक राज्य में सभी घरों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। तथापि, राज्य ने अब 10.06.2019 के पत्र के तहत सूचित किया है कि 1.56 लाख घर गैर विद्युतीकृत हैं।

(घ) : 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार सौभाग्य के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं और जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के घरों के विद्युतीकरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए देश में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत 42,676.67 करोड़ रुपए मूल्य की नई परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थीं। घरों के विद्युतीकरण के कार्य को पूरा करने हेतु 14,270.33 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अवसंरचनात्मक कार्य स्वीकृत किए गए थे।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 27.06.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 947 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

सौभाग्य की शुरुआत से विद्युतीकृत घर (31.03.2019 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य	कुल विद्युतीकृत घर
1	आंध्र प्रदेश	181,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	1,745,149
4	बिहार	3,259,041
5	छत्तीसगढ़	749,397
6	गुजरात	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू और कश्मीर	387,501
10	झारखंड	1,530,708
11	कर्नाटक	356,974
12	मध्य प्रदेश	1,984,264
13	महाराष्ट्र	1,517,922
14	मणिपुर	120,748
15	मेघालय	199,839
16	मिजोरम	27,970
17	नागालैंड	132,507
18	ओडिशा	2,452,444
19	पुडुचेरी	912
20	पंजाब	3,477
21	राजस्थान	1,862,736
22	सिक्किम	14,900
23	तमिलनाडु	2,170
24	तेलंगाना	515,084
25	त्रिपुरा	139,090
26	उत्तर प्रदेश	7,980,568
27	उत्तराखंड	248,751
28	पश्चिम बंगाल	732,290
	<b>कुल</b>	<b>2,62,84,350</b>

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 27.06.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 947 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

सौभाग्य - संस्वीकृत परियोजनाओं की लागत और भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधि (31.03.2019 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य	संस्वीकृत परियोजनाओं की लागत (करोड़ रुपए)	आरईसी द्वारा राज्यों की संवितरित की गई भारत सरकार निधि (करोड़ रुपए)
1	अरुणाचल प्रदेश	323.32	140.66
2	असम	972.86	444.71
3	बिहार	925.63	314.18
4	छत्तीसगढ़	647.62	261.81
5	हरियाणा	18.19	0.00
6	हिमाचल प्रदेश	5.93	3.72
7	जम्मू और कश्मीर	133.43	53.24
8	झारखंड	887.12	152.43
9	कर्नाटक	78.66	0.00
10	केरल	90.00	15.20
11	मध्य प्रदेश	872.64	407.47
12	महाराष्ट्र	405.88	162.13
13	मणिपुर	120.79	40.71
14	मेघालय	275.73	138.96
15	मिजोरम	45.62	34.62
16	नागालैंड	64.05	39.23
17	ओडिशा	524.76	244.77
18	पंजाब	1.77	0.00
19	राजस्थान	571.91	120.23
20	सिक्किम	2.24	0.00
21	तेलंगाना	35.05	0.00
22	त्रिपुरा	417.53	236.67
23	उत्तर प्रदेश	6,188.24	1386.62
24	उत्तराखंड	149.34	35.72
25	पश्चिम बंगाल	259.05	107.18
	<b>कुल</b>	<b>14017.35</b>	<b>4340.24</b>

\*\*\*\*\*



भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-948

जिसका उत्तर 27 जून, 2019 को दिया जाना है ।

सस्ती दरों पर एयर कंडीशनर का प्रावधान

948. श्री उदय प्रताप सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का पूरे देश में सस्ते एलईडी बल्बों की तर्ज पर सस्ती दरों पर एयर कंडीशनर प्रदान करने का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई तंत्र स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) भारतीय बाजारों में उक्त एयर कंडीशनर को उपलब्ध कराने के लिए कोई समय-सीमा तय की गई है; और
- (ङ) क्या सरकार ने उक्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कोई धनराशि आवंटित की है/आवंटित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विद्युत मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के एक संयुक्त उद्यम एनर्जी एफिएशिंसी सविर्सिज लिमिटेड (ईईएसएल) ने मांग एकत्रीकरण तथा पैमाने की किफायत के जरिए बाजार में सस्ती दरों पर उपभोक्ताओं को सुपर एफिएसिएंट एयर कंडीशनर (एसी) उपलब्ध कराने के लिए सुपर एफिएसिएंट एयर कंडीशनिंग प्रोग्राम विकसित किया है। इस पायलट प्रोग्राम का उद्देश्य 50,000 सुपर एफिएसिएंट एसी लगाना है।

ईईएसएल ने वेब आधारित मांग एकत्रीकरण मॉडल के जरिए इनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को सुपर एफिएसिएंट एसी वितरित करने के लिए बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, टाटा पावर तथा थाणे नगर निगम के साथ समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है।

(ङ) : इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा कोई निधि आवंटित नहीं की गई है। प्रोग्राम में ईईएसएल द्वारा संपूर्ण पूंजी निवेश जो ईईएसएल उपभोक्ताओं से वसूलता है, के प्रावधान की परिकल्पना की गई है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-953

जिसका उत्तर 27 जून, 2019 को दिया जाना है।

विद्युत कटौती की घटनाएं

953. डॉ. उमेश जी जाधव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में कर्नाटक सहित टायर-2 और टायर-3 शहरों में राज्य-वार औसतन विद्युत की कितनी कटौती की जाती है;
- (ख) क्या अधिक मांग वाले घंटों के समय विद्युत कटौती की घटनाएं सबसे खराब होती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या ऐसी घटनाओं के कारणों का आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : विद्युत एक समवर्ती विषय है। विभिन्न क्षेत्रों, शहरों, गांवों एवं दूर-दराज के क्षेत्रों आदि सहित सभी उपभोक्ताओं को विद्युत उपलब्ध कराना संबंधित राज्य सरकारों/विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) का मुख्य उत्तरदायित्व है।

31.05.2019 तक की स्थिति के अनुसार संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 357 गीगावाट (जीडब्ल्यू) है जो देश की व्यस्ततम मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। वर्तमान वर्ष 2019-20 (मई, 2019 तक) सबसे अधिक व्यस्ततम मांग लगभग 183 जीडब्ल्यू थी। अप्रैल-मई, 2019 के दौरान देश में औसत विद्युत कमी लगभग केवल 0.4 प्रतिशत थी तथा व्यस्ततम विद्युत कमी लगभग केवल 0.5 प्रतिशत थी। चालू वर्ष 2019-20 (मई, 2019 तक) के दौरान कर्नाटक सहित देश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। यह अंतर सामान्यतः वितरण नेटवर्क में अवरोध, वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत खरीद के लिए धन की कमी आदि जैसे कारकों के कारण होता है।

(घ) : भारत सरकार, राज्य सरकारों के प्रयासों को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) सहित अपनी स्कीमों के माध्यम से सम्पूर्ण करती है। ये स्कीमों में वितरण नेटवर्क/ग्रिड कनेक्टिविटी का सुदृढीकरण करने और सभी उपभोक्ताओं को 24X7 विद्युत उपलब्ध कराने में सहायता करती हैं और उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति को सुविधाजनक बनाती हैं।

भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) से विद्युत आबंटित करके सहायता भी करती है। राज्य मांग एवं आपूर्ति में अंतर को पूरा करने के लिए पावर एक्सचेंजों सहित विभिन्न विपणन तंत्रों के माध्यम से भी विद्युत क्रय कर सकता है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 27.06.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 953 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

2019-20 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति (अंतिम)

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2019 - मई, 2019 *				अप्रैल, 2019 - मई, 2019 *			
	ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	आपूर्ति की गई ऊर्जा (एमयू)	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा (एमयू)	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा (%)	व्यस्ततम मांग (मेगावाट)	व्यस्ततम आपूर्ति (मेगावाट)	पूरी नहीं की गई मांग (मेगावाट)	पूरी नहीं की गई मांग (%)
चंडीगढ़	271	271	0	0	356	356	0	0
दिल्ली	6,065	6,064	1	0.0	6,461	6,461	0	0.0
हरियाणा	8,679	8,679	0	0.0	8,874	8,874	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	1,654	1,644	10	0.6	1,480	1,480	0	0.0
जम्मू व कश्मीर	3,364	2,720	644	19.1	2,885	2,426	459	15.9
पंजाब	8,475	8,475	0	0.0	8,802	8,802	0	0.0
राजस्थान	13,313	13,300	13	0.1	11,791	11,791	0	0.0
उत्तर प्रदेश	22,897	22,817	79	0.3	22,487	22,057	430	1.9
उत्तराखंड	2,449	2,449	0	0.0	2,155	2,155	0	0.0
<b>उत्तरी क्षेत्र</b>	<b>67,166</b>	<b>66,419</b>	<b>747</b>	<b>1.1</b>	<b>60,987</b>	<b>60,078</b>	<b>909</b>	<b>1.5</b>
छत्तीसगढ़	5,765	5,764	1	0.0	4,596	4,574	22	0.5
गुजरात	21,748	21,748	0	0.0	18,094	18,094	0	0.0
मध्य प्रदेश	12,735	12,735	0	0.0	10,145	10,131	14	0.1
महाराष्ट्र	29,295	29,294	0	0.0	23,621	23,613	8	0.0
दमन व दीव	443	443	0	0.0	344	344	0	0.1
दादरा नागर हवेली	1,106	1,106	0	0.0	818	818	0	0.0
गोवा	801	801	0	0.0	594	594	0	0.0
<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>	<b>71,893</b>	<b>71,892</b>	<b>1</b>	<b>0.0</b>	<b>57,113</b>	<b>57,093</b>	<b>20</b>	<b>0.0</b>
आंध्र प्रदेश	11,709	11,702	7	0.1	9,854	9,854	0	0.0
तेलंगाना	10,772	10,771	1	0.0	10,269	10,202	67	0.7
कर्नाटक	13,569	13,568	1	0.0	12,700	12,688	12	0.1
केरल	4,888	4,878	10	0.2	4,316	4,300	16	0.4
तमिलनाडु	20,031	20,030	1	0.0	15,680	15,659	21	0.1
पुडुचेरी	517	516	1	0.1	453	444	9	2.0
लक्षद्वीप#	8	8	0	0	8	8	0	0
<b>दक्षिणी क्षेत्र</b>	<b>61,486</b>	<b>61,465</b>	<b>21</b>	<b>0.0</b>	<b>49,218</b>	<b>49,103</b>	<b>115</b>	<b>0.2</b>
बिहार	5,662	5,659	3	0.1	5,481	5,481	0	0.0
झीवीसी	3,757	3,755	2	0.1	3,048	3,048	0	0.0
झारखंड	1,505	1,495	10	0.7	1,330	1,330	0	0.0
ओडिशा	5,261	5,261	0	0.0	5,142	5,140	3	0.1
पश्चिम बंगाल	9,920	9,897	23	0.2	9,335	9,335	0	0.0
सिक्किम	78	78	0	0.0	100	100	0	0.0
अंडमान-निकोबार#	58	54	4	7	58	54	4	7
<b>पूर्वी क्षेत्र</b>	<b>26,182</b>	<b>26,144</b>	<b>38</b>	<b>0.1</b>	<b>23,558</b>	<b>23,558</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
अरुणाचल प्रदेश	127	126	1	0.6	140	138	2	1.2
असम	1,573	1,434	139	8.8	1,910	1,673	237	12.4
मणिपुर	135	134	2	1.2	197	188	9	4.8
मेघालय	336	318	18	5.5	337	337	0	0.0
मिजोरम	100	99	1	0.8	116	113	3	2.8
नागालैंड	124	123	1	0.8	157	131	27	16.9
त्रिपुरा##	292	288	4	1.3	297	295	2	0.5
<b>पूर्वांचल क्षेत्र</b>	<b>2,686</b>	<b>2,521</b>	<b>165</b>	<b>6.2</b>	<b>2,848</b>	<b>2,780</b>	<b>68</b>	<b>2.4</b>
<b>अखिल भारत</b>	<b>229,413</b>	<b>228,441</b>	<b>972</b>	<b>0.4</b>	<b>183,513</b>	<b>182,533</b>	<b>981</b>	<b>0.5</b>

\* अंतिम

#लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह स्टैंड अलोन प्रणाली में हैं, इसलिए इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का भाग नहीं है।

##बांग्लादेश को आपूर्ति छोड़कर।

टिप्पणी: राज्य यूटिलिटीयों/विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट संकलित की गई है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-967

जिसका उत्तर 27 जून, 2019 को दिया जाना है।

सभी गांवों को बिजली प्रदान करना

967. श्री विष्णु दयाल राम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने गांवों को बिजली प्रदान की गई है;

(ख) देश भर में सभी गांवों और बस्तियों को बिजली प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सौर ऊर्जा के माध्यम से उन गांवों और बस्तियों को बिजली प्रदान करने का है जहां उक्त लक्ष्य के अंतर्गत कवर नहीं किए जाने के कारण बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 28 अप्रैल, 2018 तक देश में सभी बसावट वाले जनगणना गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकरण किए गए गैर विद्युतीकृत गांवों की राज्यवार संख्या अनुबंध में दी गई है। सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) की शुरुआत के बाद सभी राज्यों ने विभिन्न गांवों और वास स्थलों में स्थित घरों सहित 2.62 करोड़ घरों का विद्युतीकरण करने की सूचना दी है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 27.06.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 967 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

आरई घटक सहित डीडीयूजीजेवाई के तहत पिछले दो वर्षों के दौरान विद्युतीकृत किए गए गैर-विद्युतीकृत गांवों की राज्य-वार संख्या

क्रम सं.	राज्य का नाम	2017-18	2018-19	कुल
1	अरुणाचल प्रदेश	854	280	1,134
2	असम	572		572
3	बिहार	332	264	596
4	छत्तीसगढ़	348	31	379
5	जम्मू और कश्मीर	35	62	97
6	झारखंड	613	116	729
7	कर्नाटक	25	-	25
8	मध्य प्रदेश	44	5	49
9	महाराष्ट्र	-	80	80
10	मणिपुर	77	93	170
11	मेघालय	218	151	369
12	मिजोरम	14	-	14
13	नागालैंड	2	-	2
14	ओडिशा	544	381	925
15	राजस्थान	1	-	1
16	उत्तर प्रदेश	9	22	31
17	उत्तराखंड	43	30	73
18	पश्चिम बंगाल	5	-	5
	<b>कुल</b>	<b>3,736</b>	<b>1,515</b>	<b>5,251</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-972

जिसका उत्तर 27 जून, 2019 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी संयंत्रों की स्थापना

972. श्री अशोक कुमार रावत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के मिश्रिख क्षेत्र के अन्तर्गत बिल्हौर तहसील में दोरवा जमौली गांव में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) का एक संयंत्र स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) इसकी स्थापना पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है और उक्त संयंत्र कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है;
- (ग) क्या उक्त संयंत्र की स्थापना हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किसानों को किस दर पर मुआवजा दिया गया है;
- (घ) इससे कितनी विद्युत का उत्पादन किया जाएगा;
- (ङ) क्या प्रभावित ग्रामवासियों को सस्ती दर पर विद्युत की आपूर्ति करने का कोई प्रावधान है; और
- (च) प्रभावित किसानों, जिनकी भूमि उक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की गई है, के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को संयंत्र में नौकरी प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (च) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, विद्युत उत्पादन एक लाइसेंसमुक्त कार्यकलाप है और कोई भी राज्य अथवा उत्पादन कंपनी व्यवहार्यता, ईंधन की उपलब्धता आदि जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ताप विद्युत परियोजना स्थापित कर सकती है। एनटीपीसी ने सूचित

किया है कि 140 मेगावाट और 85 मेगावाट क्षमता की दो सौर विद्युत परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बिलहौर तहसील में 4 गांवों अर्थात् उत्तारी, दुदुवा जमौली, नादिहा खुर्द तथा मदारा राई गुमान में अधिग्रहित भूमि पर एनटीपीसी द्वारा स्थापित की जा रही हैं।

इन दो परियोजनाओं पर खर्च की जाने वाली संभावित निधि लगभग 1078.13 करोड़ रुपए होगी तथा दो संयंत्रों के नवम्बर, 2020 तक प्रचालनात्मक होने की संभावना है।

उत्तारी, दुदुवा जमौली, नादिहा खुर्द तथा मदारा राई गुमान गांवों में 384.518 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की गई है और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना (एलएआरआर) अधिनियम, 2013 के अनुसार आयुक्त, कानपुर नगर द्वारा अनुमोदित दरों पर उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है।

इन दो संयंत्रों से उत्पादित की जाने वाली संभावित विद्युत की मात्रा लगभग 519 मिलियन यूनिट वार्षिक होगी। विद्युत क्रय करार की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार बिलहौर सौर विद्युत संयंत्रों में उत्पादित संपूर्ण विद्युत उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड की आपूर्ति की जानी है।

जिन्हें भूमि से बेदखल किया गया है, दिनांक 02.06.2011 की उत्तर प्रदेश सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार उन्हें वार्षिक राशि (पुनर्वास अनुदान के रूप में) के स्थान पर एकमुश्त राशि का प्रावधान है और उसके लिए राशि भूमि मुआवजे के भाग के रूप में भूस्वामियों को राज्य सरकार द्वारा पहले ही संवितरित की जा चुकी है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-990

जिसका उत्तर 27 जून, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत खरीद समझौता

990. श्री डी. के. सुरेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन निजी विद्युत उत्पादन कम्पनियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें कैप्टिव कोल ब्लॉक आवंटित किए गए हैं;

(ख) उन उक्त कम्पनियों का कम्पनी-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्होंने विद्युत खरीद समझौतों (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं और जिन्होंने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं; और

(ग) पीपीए पर आज तक हस्ताक्षर नहीं करने वाली उक्त कम्पनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : निजी विद्युत उत्पादन कंपनियों को अब तक आठ(8) कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। जिन निजी विद्युत उत्पादन कंपनियों को कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं उनके विद्युत क्रय करारों (पीपीए) की स्थिति सहित ब्यौरा अनुबंध पर दिया गया है।

(ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियम के बाद अधिनियम की धारा-62 के अंतर्गत समुचित आयोग द्वारा टैरिफ निर्धारित किया जाता है अथवा इस अधिनियम की धारा-63 के अंतर्गत खुली बोली के बाद ज्ञात (टैरिफ) को आयोग द्वारा अपनाया जाता है। इसके अतिरिक्त, टैरिफ नीति 2016 में यह अधिदेश किया गया है कि मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार अथवा जहां कंपनी का स्वामित्व है अथवा राज्य द्वारा नियंत्रित है, के मामले को छोड़कर, विद्युत की सभी भावी मांग प्रतिस्पर्धात्मक रूप से खरीदी जानी चाहिए। अतः पीपीए पर हस्ताक्षर किया जाना डिस्कॉमों द्वारा लगाई गई विद्युत खरीद की प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में बोलीकर्ता/निजी उत्पादन कंपनी के सफल होने पर निर्भर करता है।

\*\*\*\*\*



**अनुबंध**

लोक सभा में दिनांक 27.06.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 990 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

क्रम सं.	निजी विद्युत संयंत्र	क्षमता	राज्य	कोयला ब्लॉक	आबंटि का नाम	पीपीए हस्ताक्षरित किया गया/ हस्ताक्षरित नहीं किया गया
1	राईखेड़ा (यूनिट-1,2)	2 x 685 मेगावाट	छत्तीसगढ़	तालाबीरा-I	जीएमआर, छत्तीसगढ़	पीपीए नहीं।
2	बज बज (यूनिट-1,2)	2 x 250 मेगावाट	पश्चिम बंगाल	गणेशपुर सारीसातोली	सीईएससी लि.	कुल क्षमता का 100% सन्निहित वितरण लाइसेंसधारी के साथ जुड़ा हुआ है
3	जेपी निगरी (यूनिट-1,2)	2 x 660 मेगावाट	मध्य प्रदेश	अमेलिया नॉर्थ	जयप्रकाश पावर वेंचर लि.	क्षमता - 495 मेगावाट के लिए पीपीए
4	महान टीपीपी (यूनिट 1,2)	2 x 600 मेगावाट	मध्य प्रदेश	तोकीसूद नॉर्थ	एस्सार पावर लि.	क्षमता - 60 मेगावाट के लिए पीपीए
5	मुंदा टीपीपी कच्छ (यूनिट 1,2,3,4,5,6)	4 x 330 + 2 x 660 मेगावाट	गुजरात	जीतपुर	अदानी पावर लिमिटेड	क्षमता - 2434 मेगावाट के लिए पीपीए
6	जीएआईटीपीएल देरांग (यूनिट 1,2)	2 x 600 मेगावाट	ओडिशा	मंदाकिनी	मंदाकिनी एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग लि. (जिंदल इंडिया और मोनेट पावर कंपनी लि. का संयुक्त उद्यम)	कोयला ब्लॉक अभ्यर्पित किए गए एवं पीपीए समाप्त हो गया
7	मलीब्राहमणी टीपीपी (यूनिट 1,2)	2 x 525 मेगावाट	ओडिशा	मंदाकिनी	मंदाकिनी एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग लि. (जिंदल इंडिया और मोनेट पावर कंपनी लि. का संयुक्त उद्यम)	कोयला ब्लॉक अभ्यर्पित किए गए एवं पीपीए समाप्त हो गया
				उत्कल - सी	मोनेट पावर कंपनी लिमिटेड	

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-992

जिसका उत्तर 27 जून, 2019 को दिया जाना है ।

निर्बाध विद्युत आपूर्ति

992. श्री रितेश पाण्डेय:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने परिवारों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति अथवा 24 घंटे विद्युत आपूर्ति नहीं है;

(ख) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार परिवारों को औसतन कितने घंटे विद्युत आपूर्ति उपलब्ध होती है;

(ग) क्या दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अन्तर्गत उक्त आंकड़े निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है तथा विद्युत का वितरण और संबंधित कार्यों का प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी द्वारा किया जाता है। भारत सरकार ने सभी घरों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24X7 विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने तथा राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए राज्य विशिष्ट योजनाएं तैयार करने हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक संयुक्त पहल की है। भारत सरकार अपनी योजनाओं जिनमें दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य तथा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के जरिए राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा दे रही है। शहरी क्षेत्र में नियमित आपूर्ति होने की संभावना है। आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत शामिल शहरी क्षेत्र ऊर्जा ऐप पर सूचित किए जाते हैं जिनके औसत कटौती के घंटे अनुबंध-I पर दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति के राज्यवार औसत घंटों की संख्या अनुबंध-II में दी गई है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 27.06.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 992 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**11 केवी फीडर स्तर पर शहरी क्षेत्र (आर-एपीडीआरपी) में विद्युत कटौती के राज्य-वार मासिक औसत घंटे**

**मई, 2019**

क्रम सं.	नाम	मात्रा
1	जम्मू और कश्मीर	0:24 घंटे
2	राजस्थान	0:26 घंटे
3	गुजरात	1:07 घंटे
4	केरल	1:31 घंटे
5	आंध्र प्रदेश	1:58 घंटे
6	महाराष्ट्र	2:16 घंटे
7	तेलंगाना	2:33 घंटे
8	उत्तर प्रदेश	2:48 घंटे
9	त्रिपुरा	3:10 घंटे
10	मध्य प्रदेश	4:10 घंटे
11	हिमाचल प्रदेश	5:16 घंटे
12	गोवा	6:55 घंटे
13	पश्चिम बंगाल	8:37 घंटे
14	कर्नाटक	9:34 घंटे
15	पंजाब	10:16 घंटे
16	उत्तराखंड	14:05 घंटे
17	छत्तीसगढ़	17:17 घंटे
18	हरियाणा	18:37 घंटे
19	मणिपुर	25:43 घंटे

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 27.06.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 992 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति की स्थिति

अप्रैल, 2019

क्रम सं.	राज्य	एक दिन में औसत विद्युत आपूर्ति
1	आंध्र प्रदेश	23.90
2	अरुणाचल प्रदेश*	14.30
3	असम	19.00
4	बिहार	22.07
5	छत्तीसगढ़	23.00
6	गुजरात	24.00
7	हरियाणा	15.64
8	हिमाचल प्रदेश	24.00
9	जम्मू और कश्मीर	14.25
10	झारखंड	17.71
11	कर्नाटक	18.74
12	केरल	24.00
13	मध्य प्रदेश	23.63
14	महाराष्ट्र	24.00
15	मणिपुर	22.50
16	मेघालय	18.50
17	मिजोरम	15.00
18	नागालैंड	20.00
19	ओडिशा	20.69
20	पंजाब	24.00
21	राजस्थान	22.00
22	सिक्किम	17.13
23	तमिलनाडु	24.00
24	तेलंगाना	24.00
25	त्रिपुरा	23.50
26	उत्तर प्रदेश*	17.89
27	उत्तराखंड	23.60
28	पश्चिम बंगाल	24.00

\* अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए मार्च, 2019 के आंकड़े लिए गए हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-997  
जिसका उत्तर 27 जून, 2019 को दिया जाना है ।

बिहार में विद्युतीकरण कार्य

997. श्रीमती रमा देवी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या बिहार में शिवहर जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक विद्युतीकरण कार्य नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त जिले के कितने गांव हैं जिनमें अभी भी बिजली नहीं पहुंची है; और
- (ग) उक्त जिले के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार शिवहर जिले सहित बिहार में सभी आवासित जनगणना गांव 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकृत कर दिए गए हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1020

जिसका उत्तर 27 जून, 2019 को दिया जाना है।

विद्युत उपकरणों की खरीद

1020. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का ताप और जल विद्युत उत्पादनकर्ताओं के लिए विद्युत उपकरण स्थानीय बाजार से खरीदना आवश्यक बनाने का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने इस दिशा-निर्देश को जारी करते समय यह सुनिश्चित किया है कि विद्युत-निर्माता जिन उपकरणों की खरीद करने जा रहे हैं उनकी उपलब्धता स्थानीय बाजार में हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) सरकार द्वारा स्थानीय बाजार में उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : औद्योगिक नीति तथा संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा अधिसूचित दिनांक 15.06.2017 और 28.05.2018 के सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश के अनुसरण में, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय ने ताप विद्युत क्षेत्र के संबंध में क्रय प्राथमिकता (लोकल कंटेंट से संबद्ध) के लिए दिनांक 28.12.2018 का आदेश और जल विद्युत क्षेत्र के संबंध में दिनांक 20.12.2018 का आदेश पहले ही अधिसूचित कर दिया था। दिनांक 28.12.2018 तथा 20.12.2018 के आदेशों के अनुसार, सार्वजनिक खरीद कंपनियों द्वारा डीआईपीपी के संदर्भ आदेश के अनुसार ताप एवं जल विद्युत क्षेत्र में प्रयोग किए जा रहे स्वदेशी रूप से विनिर्मित उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी। विद्युत मंत्रालय द्वारा नियंत्रित विभागों अथवा संबद्ध अथवा अधीनस्थ कार्यालयों अथवा स्वायत्तशासी निकायों द्वारा जिनमें कंपनी अधिनियम में यथापरिभाषित सरकारी कंपनियां शामिल हैं, की गई खरीदों में स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को क्रय प्राथमिकता दी जाएगी।

(ग) और (घ) : भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय ने उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में वर्णित आदेशों को जारी करते समय विद्युत उपकरणों की स्वदेशी उपलब्धता, चालू आयात का कंटेंट तथा इसके लिए विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन सहित अगले पांच वर्षों के लिए स्थानीय कंटेंट के लक्ष्य के पहलुओं पर विचार किया है। क्रय प्राथमिकता (लोकल कंटेंट से संबद्ध) के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों से ऐसे उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-1037  
जिसका उत्तर 27 जून, 2019 को दिया जाना है।

विद्युत क्षेत्रक में समस्याएं

1037. श्रीमती गीताबेन वजेसिंहभाई राठवा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का विद्युत क्षेत्रक से संबंधित मामलों पर विचार करने और इसमें सुधार का सुझाव देने के लिए कोई सलाहकार समिति गठित करने का प्रस्ताव है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या इस पहल से ईंधन की कमी की समस्या, जिसमें उक्त क्षेत्रक की व्यवहार्यता खतरे में पड़ सकती है, सहित विद्युत क्षेत्रक की अन्य समस्याओं का समाधान हो जाएगा; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : विद्युत क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने तथा उसमें सुधार के लिए सुझाव देने हेतु परामर्शदात्री समिति गठित करने हेतु केंद्र सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1043

जिसका उत्तर 27 जून, 2019 को दिया जाना है।

उदय की स्थिति

1043. श्री अनिल फिरोजिया:

श्री रमेश चन्द्र कौशिक:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार की उज्ज्वल विद्युत वितरण कंपनी आश्वासन योजना (उदय) की क्या स्थिति है;

(ख) उक्त योजना के तहत गत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा संचित लाभ का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के तहत राज्य सरकारों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) की शुरुआत की है। अब तक 27 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों (यूटीज) अर्थात् आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपुर, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड ने अपनी विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) के साथ उदय के अंतर्गत भागीदारी के लिए भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। उदय के अंतर्गत भागीदार राज्यों द्वारा 2.32 लाख करोड़ रुपये के बॉण्ड जारी किए हैं।

उदय पोर्टल पर राज्यों द्वारा डाले गए आंकड़ों के अनुसार, राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटीयों ने अनेक पैरामीटरों में अपने कार्यनिष्पादन में सुधार की सूचना दी है, जैसा कि (i) समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों का राष्ट्रीय औसत वित्तीय वर्ष 2015-16 में 20.80% से घटकर वित्तीय वर्ष 2017-18 में 18.76% तक हो गया है और (ii) आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) - वसूल किया गया औसत (एआरआर) अंतर वर्ष 2015-16 में 60 पैसे प्रति यूनिट से घटकर वर्ष 2017-18 में 17 पैसे प्रति यूनिट रह गया है। राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध-1 व II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) : उदय एक सुधार आधारित कार्यक्रम है जिसमें राज्य स्वेच्छा से सम्मिलित हुए हैं, इसलिए, उदय के अंतर्गत भागीदार राज्यों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

\*\*\*\*\*



**अनुबंध-1**

लोक सभा में दिनांक 27.06.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1043 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

एटीएंडसी हानि उपलब्धि का राज्य-वार ब्यौरा (प्रतिशत में)					
क्रम सं.	मानदंड	यूनिट	आधार वर्ष आंकड़े (2015-16)	उपलब्धि 2016-17	उपलब्धि 2017-18
1	आंध्र प्रदेश	(% में)	9.41	10.96	8.69
2	अरुणाचल प्रदेश	(% में)	64.27	35.88	65.45
3	असम	(% में)	25.51	23.81	15.71
4	बिहार	(% में)	43.74	38.97	33.19
5	छत्तीसगढ़	(% में)	21.79	19.34	18.8
6	दादरा और नगर हवेली	(% में)	-	9.23	6.09
7	दमन और दीव	(% में)	13.25	10.65	10.34
8	गोवा	(% में)	17.12	16.79	16.12
9	गुजरात	(% में)	15.04	12.28	11.71
10	हरियाणा	(% में)	29.83	25.43	20.29
11	हिमाचल प्रदेश	(% में)	12.92	8.48	12.14
12	जम्मू और कश्मीर	(% में)	61.6	61.34	53.78
13	झारखंड	(% में)	34.71	31.8	31.78
14	कर्नाटक	(% में)	14.94	15.36	14.48
15	केरल	(% में)	16.03	17.28	12.05
16	मध्य प्रदेश	(% में)	23.97	26.53	29.74
17	महाराष्ट्र	(% में)	19.07	18.88	17.41
18	मणिपुर	(% में)	44.21	36.89	24.61
19	मेघालय	(% में)	36.48	34.87	34.64
20	पुडुचेरी	(% में)	19.88	18.98	19.56
21	पंजाब	(% में)	15.9	14.46	17.26
22	राजस्थान	(% में)	30.41	26.02	20.02
23	सिक्किम	(% में)	38.06	40.59	32.57
24	तमिलनाडु	(% में)	14.58	14.53	14.23
25	तेलंगाना	(% में)	13.95	15.88	13.5
26	त्रिपुरा	(% में)	20.94	16.61	15.52
27	उत्तर प्रदेश	(% में)	26.47	30.21	27.67
28	उत्तराखंड	(% में)	17.19	14.02	15.73
	<b>उदय राज्यों का औसत</b>	(% में)	<b>20.8</b>	<b>20.25</b>	<b>18.76</b>

(स्रोत: उदय पोर्टल)

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 27.06.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1043 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

एसीएस-एआरआर अंतर उपलब्धि का राज्य-वार ब्यौरा (रु./यूनिट में)					
क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	यूनिट	आधार वर्ष आंकड़े (2015-16)	उपलब्धि 2016-17	उपलब्धि 2017-18
1	आंध्र प्रदेश	रु./यूनिट	0.82	0.44	0.02
2	अरुणाचल प्रदेश	रु./यूनिट	3.76	5.22	4.32
3	असम	रु./यूनिट	0.58	0.3	0.43
4	बिहार	रु./यूनिट	0.65	0.59	0.39
5	छत्तीसगढ़	रु./यूनिट	0.18	-0.15	-0.03
6	दादरा और नगर हवेली	रु./यूनिट	-	0.27	0.06
7	दमन और दीव	रु./यूनिट	-0.11	-0.11	-0.02
8	गोवा	रु./यूनिट	1.5	0.95	0.41
9	गुजरात	रु./यूनिट	-0.02	-0.03	-0.04
10	हरियाणा	रु./यूनिट	0.18	0.04	-0.02
11	हिमाचल प्रदेश	रु./यूनिट	-0.32	0.21	-0.09
12	जम्मू और कश्मीर	रु./यूनिट	2.55	2.15	1.96
13	झारखंड	रु./यूनिट	1.22	1.39	0.57
14	कर्नाटक	रु./यूनिट	0.06	0.06	0.07
15	केरल	रु./यूनिट	0.23	0.53	0.27
16	मध्य प्रदेश	रु./यूनिट	0.92	0.24	0.33
17	महाराष्ट्र	रु./यूनिट	0.3	0.28	-0.07
18	मणिपुर	रु./यूनिट	1.31	0.1	0.08
19	मेघालय	रु./यूनिट	0.88	1.99	1.3
20	पुडुचेरी	रु./यूनिट	0.03	-0.11	0
21	पंजाब	रु./यूनिट	0.53	0.65	0.48
22	राजस्थान	रु./यूनिट	1.65	0.36	-0.33
23	सिक्किम	रु./यूनिट	7.96	4.62	6.93
24	तमिलनाडु	रु./यूनिट	0.6	0.39	0.28
25	तेलंगाना	रु./यूनिट	0.69	1.24	0.55
26	त्रिपुरा	रु./यूनिट	0.24	0.02	0.08
27	उत्तर प्रदेश	रु./यूनिट	0.88	0.62	0.28
28	उत्तराखंड	रु./यूनिट	0.1	0.22	0.17
	उदय राज्यों का औसत	रु./यूनिट	0.60	0.42	0.17

(स्रोत: उदय पोर्टल)

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1051

जिसका उत्तर 27 जून, 2019 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन प्रणाली की स्थापना

1051. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का वहनीय कम दरों पर विद्युत ऊर्जा प्रदान करने हेतु अधिक विद्युत उत्पादन प्रणालियों की स्थापना करने का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;
- (ग) क्या सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि विकास की धीमी गति और नए उद्योगों की स्थापना हेतु विद्युत की कमी एक कारण है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना क्या है;
- (ङ) परमाणु, ताप विद्युत, जल विद्युत और सौर ऊर्जा उत्पादन इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (च) क्या सरकार का राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विद्युत स्टेशनों के लिए राजसहायता या वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (छ) विगत पांच वर्षों के दौरान स्थापित विद्युत स्टेशनों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, देश में 33957 मेगावाट की परंपरागत विद्युत उत्पादन क्षमता निर्माण के विभिन्न चरणों में है जिसमें 25821 मेगावाट ताप विद्युत, 4836 मेगावाट जल विद्युत और 3300 मेगावाट नाभिकीय शामिल है।

(ग) और (घ) : वर्ष 2018-19 और 2019-20 (मई, 2019 तक) के लिए देश की वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	पूरी नहीं की गई मांग	
	मिलियन यूनिट	मिलियन यूनिट	मिलियन यूनिट	%	मेगावाट	मेगावाट	मेगावाट	%
2018-19	1,274,595	1,267,526	7,070	0.6	177,022	175,528	1,494	0.8
2019-20 (मई*19 तक)	229,413	228,441	972	0.4	183,513	182,533	981	0.5

\* अनंतिम

वर्तमान में, देश की विद्युत मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध है। तथापि, कुछ क्षेत्रों में मांग और आपूर्ति के बीच कमी हो सकती है जो कि देश में विद्युत की उपलब्धता के बजाए अन्य कारणों के कारण होती है।

वर्ष 2018 में अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, वर्ष 2021-22 के अंत तक अखिल भारत विद्युत उत्पादन संस्थापित क्षमता 479418 मेगावाट तथा वर्ष 2026-27 के अंत तक 619066 मेगावाट होने का अनुमान है। इस विद्युत उत्पादन संस्थापित क्षमता के साथ 19वें इलैक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) के अनुसार अनुमानित विद्युत मांग को पूर्णतः पूरा किए जाने की संभावना है।

(ड) : दिनांक 31.05.2019 की स्थिति के अनुसार, ताप विद्युत, जल विद्युत और नाभिकीय विद्युत उत्पादन यूनिटों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है। सौर संस्थापित क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(च) : वर्तमान में, राज्य सरकार द्वारा स्थापित विद्युत स्टेशनों को कोई सब्सिडी और वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव नहीं है।

(छ) : विगत पांच वर्षों के दौरान, देश में स्थापित विद्युत स्टेशनों की राज्य-वार सूची **अनुबंध-III** में दी गई है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 27.06.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1051 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

ताप विद्युत, जल विद्युत और नाभिकीय विद्युत उत्पादन यूनिटों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा  
(31.05.2019 की स्थिति के अनुसार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ताप विद्युत	जल विद्युत	न्यूक्लियर
अंडमान व निकोबार द्वीप	1		
आंध्र प्रदेश	23	4	
अरुणाचल प्रदेश		2	
असम	7	3	
बिहार	5		
छत्तीसगढ़	28	1	
दिल्ली	5		
गोवा	1		
गुजरात	26	4	1
हरियाणा	6		
हिमाचल प्रदेश		26	
जम्मू और कश्मीर	1	12	
झारखंड	8	4	
कर्नाटक	9	16	1
केरल	4	14	
मध्य प्रदेश	13	10	
महाराष्ट्र	27	13	1
मणिपुर	1	1	
मेघालय		5	
मिजोरम		1	
नागालैंड		1	
ओडिशा	7	7	
पुडुचेरी	1		
पंजाब	5	9	
राजस्थान	11	4	2
सिक्किम		7	
तमिलनाडु	24	27	2
तेलंगाना	7	8	
त्रिपुरा	5		
उत्तर परदेश	21	4	1
उत्तराखंड	2	16	
पश्चिम बंगाल	20	5	

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-II**

लोक सभा में दिनांक 27.06.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1051 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**31.05.2019 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार सौर संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)**

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सौर विद्युत (मेगावाट)		
		गाउंड माउंटेड	रूफ टॉप	कुल सौर
1	आंध्र प्रदेश	3230.740	60.020	3290.760
2	अरुणाचल प्रदेश	1.270	4.120	5.390
3	असम	10.670	16.200	26.870
4	बिहार	138.930	6.020	144.950
5	छत्तीसगढ़	215.830	15.520	231.350
6	गोवा	0.950	3.830	4.780
7	गुजरात	2200.570	363.570	2564.140
8	हरियाणा	130.800	101.360	232.160
9	हिमाचल प्रदेश	17.000	7.020	24.020
10	जम्मू और कश्मीर	8.490	6.630	15.120
11	झारखंड	19.050	17.420	36.470
12	कर्नाटक	5944.060	190.850	6134.910
13	केरल	100.000	40.330	140.330
14	मध्य प्रदेश	1956.530	35.720	1992.250
15	महाराष्ट्र	1447.300	191.850	1639.150
16	मणिपुर	0.000	3.470	3.470
17	मेघालय	0.000	0.120	0.120
18	मिजोरम	0.100	0.410	0.510
19	नागालैंड	0.000	1.000	1.000
20	ओडिशा	383.560	13.330	396.890
21	पंजाब	828.100	77.520	905.620
22	राजस्थान	3396.640	154.360	3551.000
23	सिक्किम	0.000	0.010	0.010
24	तमिलनाडु	2663.480	148.570	2812.050
25	तेलंगाना	3519.270	79.530	3598.800
26	त्रिपुरा	5.000	4.410	9.410
27	उत्तर प्रदेश	899.000	146.100	1045.100
28	उत्तराखंड	239.780	70.060	309.840
29	पश्चिम बंगाल	50.000	39.430	89.430
30	अंडमान और निकोबार	7.600	4.130	11.730
31	चंडीगढ़	6.340	28.370	34.710
32	दादर और नगर हवेली	2.490	2.970	5.460
33	दमन और दीव	10.150	5.260	15.410
34	दिल्ली	8.960	123.190	132.150
35	लक्षद्वीप	0.750	0.000	0.750
36	पुडुचेरी	0.030	3.110	3.140
	<b>कुल</b>	<b>27443.440</b>	<b>1965.810</b>	<b>29409.250</b>

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 27.06.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1051 के भाग (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

देश में पिछले पांच वर्षों (2014-15 से 2018-19) के दौरान स्थापित विद्युत स्टेशनों की सूची

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र	राज्य	ईंधन प्रकार	क्षमता (मेगावाट)
<b>2014-15</b>					
1	पैनमपुरम टीपीपी यू-1	पी	आंध्र प्रदेश	कोयला	660
2	दामोदरम संजीव्याह टीपीएस यू 1,2	एस	आंध्र प्रदेश	कोयला	1600
3	सिम्हापुरी फेज-II यू-4	पी	आंध्र प्रदेश	कोयला	150
4	मुजफ्फरपुर यू-3	सी	बिहार	कोयला	195
5	बाढ़ एसटीपीपी स्टे.-II यू-5	सी	बिहार	कोयला	660
6	स्वास्तिक कोरबा यू-1	पी	छत्तीसगढ़	कोयला	25
7	अकलतारा (नैतारा) टीपीपी	पी	छत्तीसगढ़	कोयला	600
8	तमनार टीपीपी यू-3,4	पी	छत्तीसगढ़	कोयला	1200
9	राईखेड़ा टीपीपी यू-1	पी	छत्तीसगढ़	कोयला	685
10	सलोरा टीपीपी यू-1	पी	छत्तीसगढ़	कोयला	135
11	बड़ादरहा यू-2	पी	छत्तीसगढ़	कोयला	600
12	सिक्का टीपीपी एक्सटें. यू-3	एस	गुजरात	कोयला	250
13	डीजीईएन मेगा सीसीपीपी मॉड्यूल-3	पी	गुजरात	गैस	400
14	धुवरन सीसीपीपी-III	एस	गुजरात	गैस	376.1
15	पारबती-III एचईपी यू-4	सी	हिमाचल प्रदेश	हाइड्रो	130
16	रामपुर एचईपी यू-3,4,6	सी	हिमाचल प्रदेश	हाइड्रो	206.01
17	कोलडैम एचईपी यू-1,2	सी	हिमाचल प्रदेश	हाइड्रो	400
18	धारीवाल टीपीपी यू-2	पी	महाराष्ट्र	कोयला	300
19	तिरौरा टीपीपी, फेज-II यूनिट-3	पी	महाराष्ट्र	कोयला	660
20	अमरावती टीपीपी फेज-1 यू-3,4,5	पी	महाराष्ट्र	कोयला	810
21	चंद्रपुर यू-8	एस	महाराष्ट्र	कोयला	500
22	कोराडी टीपीएस एक्सटें. यू-8	एस	महाराष्ट्र	कोयला	660
23	सासन यूएमपीपी यू-3,5,6	पी	मध्य प्रदेश	कोयला	1980
24	निगरी टीपीपी यू-1,2	पी	मध्य प्रदेश	कोयला	1320
25	श्री सिंघाजी टीपीपी यू-2	एस	मध्य प्रदेश	कोयला	600
26	देरांग टीपीपी यू-1,2	पी	ओडिशा	कोयला	1200
27	तलवंडी साबो टीपीपी यू-1	पी	पंजाब	कोयला	660
28	राजपुरा टीपीपी यू-2	पी	पंजाब	कोयला	700
29	रामगढ़ एसटी	एस	राजस्थान	गैस	50
30	कालीसिंध टीपीपी यू-1	एस	राजस्थान	कोयला	600
31	छाबड़ा टीपीपी एक्सटें. यू-4	एस	राजस्थान	कोयला	250
32	मुतियारा टीपीपी यू-1	पी	तमिलनाडु	कोयला	600
33	तूतीकोरिन जेवी यू-1	सी	तमिलनाडु	कोयला	500
34	एनएलसी टीपीपी-2 एक्सपें. यू-2	सी	तमिलनाडु	कोयला	250
35	कुडनकुलम यू-1	सी	तमिलनाडु	न्यूक्लियर	1000
36	अगरतला सीसीपीपी एसटी-1	सी	त्रिपुरा	गैस	25.5
37	मोनार्चक सीसीपीपी	सी	त्रिपुरा	गैस	65.4
38	त्रिपुरा सीसीजीटी, बीएलके-2	सी	त्रिपुरा	गैस	363.3
39	हल्दिया टीपीपी यू-1,2	पी	पश्चिम बंगाल	कोयला	600
40	रघुनाथपुर टीपीपी, फेज-1	सी	पश्चिम बंगाल	कोयला	600
<b>2015-16</b>					
1	कौडापल्ली स्टे.-III-ए (यू-1,2)	पी	आंध्र प्रदेश	गैस	742
2	पैनमपुरम टीपीपी यू-2	पी	आंध्र प्रदेश	कोयला	660
3	जीएमआर राजमुंदरी एनर्जी लि., ब्लॉक-1,2	पी	आंध्र प्रदेश	गैस	768
4	विजाग टीपीपी यू-1,2	पी	आंध्र प्रदेश	कोयला	1040
5	बोंगाईगांव टीपीपी यू-1	सी	असम	कोयला	250
6	नबी नगर टीपीपी एक्सपें. यू-1	सी	बिहार	कोयला	250

7	बंदाखार टीपीपी यू-1	पी	छत्तीसगढ़	कोयला	300
8	बाल्को टीपीपी यू-1,2	पी	छत्तीसगढ़	कोयला	600
9	उचपिंडा टीपीपी, यू-1,2	पी	छत्तीसगढ़	कोयला	720
10	राईखेड़ा टीपीपी यू-2	पी	छत्तीसगढ़	कोयला	685
11	सिक्का टीपीएस एक्सटें. यू-4	एस	गुजरात	कोयला	250
12	कोलडैम यू-3,4	सी	हिमाचल प्रदेश	हाइड्रो	400
13	बगलीहार स्टेज-II यू-1,2	एस	जेएंडके	हाइड्रो	300
14	बगलीहार स्टेज-II यू-3	एस	जेएंडके	हाइड्रो	150
15	बोकारो टीपीएस "ए" एक्सपें. यू-1	सी	झारखंड	कोयला	500
16	बेल्लारी टीपीपी स्टे.-III यू-3	एस	कर्नाटक	कोयला	700
17	येरमारस टीपीपी यू-1	एस	कर्नाटक	कोयला	800
18	मोदा एसटीपीपी-II यू-3	सी	महाराष्ट्र	कोयला	660
19	चंद्रपुर टीपीएस एक्सटें. यू-9	एस	महाराष्ट्र	कोयला	500
20	कोराडी टीपीएस एक्सपें. यू-9	एस	महाराष्ट्र	कोयला	660
21	पार्ली टीपीएस यू-8	एस	महाराष्ट्र	कोयला	250
22	अनूपपुर टीपीपी यू-1,2	पी	मध्य प्रदेश	कोयला	1200
23	विंध्याचल एसटीपीपी स्टे.-V यू-13	सी	मध्य प्रदेश	कोयला	500
24	सिओनी टीपीपी फेज-I यू-1	पी	मध्य प्रदेश	कोयला	600
25	इंड बराथ एनर्जी प्रा. लि. टीपीपी यू-1	पी	ओडिशा	कोयला	350
26	तलवंडी साबो यू-2,3	पी	पंजाब	कोयला	1320
27	गोइंदवाल साहिब टीपीपी यू-1,2	पी	पंजाब	कोयला	540
28	कालीसिंधी एसटीपीपी यू-2	एस	राजस्थान	कोयला	600
29	जोरथांग लूप यू-1,2	पी	सिक्किम	हाइड्रो	96
30	तूतीकोरिन जेवी यू-2	सी	तमिलनाडु	कोयला	500
31	आईटीपीसीएल टीपीपी यूनिट-I	पी	तमिलनाडु	कोयला	600
32	मुत्तियारा टीपीपी, यू-2	पी	तमिलनाडु	कोयला	600
33	काकातिया टीपीपी स्टे.-II यू-1	एस	तेलंगाना	कोयला	600
34	सिंगरैनी टीपीपी यू-1	एस	तेलंगाना	कोयला	600
35	लोअर जुराला यू-1,2,3,4	एस	तेलंगाना	हाइड्रो	160
36	त्रिपुरा सीसीजीटी, मोनार्चक	सी	त्रिपुरा	गैस	35.6
37	अनपरा डी टीपीपी यू-6,7	एस	उत्तर प्रदेश	कोयला	1000
38	प्रयागराज (बारा) टीपीपी यू-1	पी	उत्तर प्रदेश	कोयला	660
39	ललितपुर टीपीपी यू-1,2	पी	उत्तर प्रदेश	कोयला	1320
40	श्रीनगर यू-1,2,3,4	पी	उत्तराखंड	हाइड्रो	330
41	सागरदिघी टीपीपी एक्सटें. यू-3	एस	पश्चिम बंगाल	कोयला	500
42	रघुनाथपुर टीपीपी फेज-I यू-2	सी	पश्चिम बंगाल	कोयला	600
43	तीस्ता लो डैम स्टेज-IV यू-1,2	सी	पश्चिम बंगाल	हाइड्रो	80

**2016-17**

1	नागार्जुन सागर टीआर यू-1, 2	एस	आंध्र प्रदेश	हाइड्रो	50
2	सेम्बकॉप गायत्री प्रा. लि. यू-1, 2	पी	आंध्र प्रदेश	कोयला	930
3	बोंगाईगांव टीपीपी यू-2	सी	असम	कोयला	250
4	नामरूप सीसीजीटी	एस	असम	गैस	62.25
5	कांती टीपीएस यू-2	सी	बिहार	कोयला	195
6	रतीजा टीपीपी यू-2	पी	छत्तीसगढ़	कोयला	50
7	मारवा टीपीपी यू-2	एस	छत्तीसगढ़	कोयला	500
8	नवापारा यू-1	पी	छत्तीसगढ़	कोयला	300
9	भावनगर लिग्नाइट बेस्ड टीपीपी यू-1, 2	एस	गुजरात	कोयला	500
10	कशांग एचईपी-I	एस	हिमाचल प्रदेश	हाइड्रो	65
11	चंजू-I यू-1, यू-2	पी	हिमाचल प्रदेश	हाइड्रो	24
12	कशांग एचईपी-II व III यू-1, 2	एस	हिमाचल प्रदेश	हाइड्रो	130
13	कुडगी टीपीपी यू-1, 2	सी	कर्नाटक	कोयला	1600
14	येरमारस टीपीपी यू-2	एस	कर्नाटक	कोयला	800
15	कोराडी टीपीपी यू-10	एस	महाराष्ट्र	कोयला	660
16	मनगांव सीसीपीपी	पी	महाराष्ट्र	गैस	388
17	मौदा एसटीपीपी-II यू-4	सी	महाराष्ट्र	कोयला	660
18	नासिक टीपीपी फेज-I, यू-2	पी	महाराष्ट्र	कोयला	660
19	तीस्ता-III यू-1,2,3,4,5,6	एस	सिक्किम	हाइड्रो	1200
20	कुड्डालोर आईटीपीसीएल टीपीपी यू-2	पी	तमिलनाडु	कोयला	600
21	कुडनकुलम यू-2	सी	तमिलनाडु	न्यूक्लियर	1000
22	लोअर जुराला यू-5, 6	एस	तेलंगाना	हाइड्रो	80



23	पुलीचिताला यू-1	एस	तेलंगाना	हाइड्रो	30
24	सिंगरैनी यू-2	एस	तेलंगाना	कोयला	600
25	अगरतला गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट एसटी-1	सी	त्रिपुरा	गैस	25.5
26	ललितपुर एसटीपीपी यू-3	पी	उत्तर प्रदेश	कोयला	660
27	बारा टीपीपी यू-2	पी	उत्तर प्रदेश	कोयला	660
28	ऊंचाहार टीपीएस स्टे.-iv यू-6	सी	उत्तर प्रदेश	कोयला	500
29	गामा सीसीपीपी, ब्लॉक-1	पी	उत्तराखंड	गैस	225
30	काशीपुर सीसीपीपी ब्लॉक-1	पी	उत्तराखंड	कोयला	225
31	सागरदिघी टीपीएस-II यू-4	एस	पश्चिम बंगाल	कोयला	500
32	तीस्ता लो डैम स्टेज-IV यू-3, यू-4	सी	पश्चिम बंगाल	हाइड्रो	80

**2017-18**

1	पुलीचिताला यू-2 व यू-3	एस	आंध्र प्रदेश	हाइड्रो	60
2	रायलसीमा टीपीपी यूनिट-6	एस	आंध्र प्रदेश	कोयला	600
3	बरोनी एक्सटें. टीपीपी यूनिट-9	एस	बिहार	कोयला	250
4	बीटीपीएस एक्सटें. यूनिट-8	एस	बिहार	कोयला	250
5	नबी नगर टीपीपी यू-2	सी	बिहार	कोयला	250
6	अकलतारा (नरियारा)	पी	छत्तीसगढ़	कोयला	600
7	बिजकोट टीपीपी यू-1 व यू-2	पी	छत्तीसगढ़	कोयला	600
8	लारा टीपीपी यूनिट-1	सी	छत्तीसगढ़	कोयला	800
9	नवापारा टीपीपी यू-2	पी	छत्तीसगढ़	कोयला	300
10	उचपिंडा टीपीपी यू-3	पी	छत्तीसगढ़	कोयला	360
11	चंजू-1 यू-3	पी	हिमाचल प्रदेश	हाइड्रो	12
12	सैंज एचईपी यू-1 व यू-2	एस	हिमाचल प्रदेश	हाइड्रो	100
13	किशन गंगा एचईपी यू-1 से यू-3	सी	जेएंडके	हाइड्रो	330
14	कुडगी एसटीपीपी फेज-1, यूनिट-3	सी	कर्नाटक	कोयला	800
15	नासिक टीपीपी फेज-1 यू-3 से यू-5	पी	महाराष्ट्र	कोयला	810
16	शीरपुर टीपीपी यू-1	पी	महाराष्ट्र	कोयला	150
17	सोलापुर एसटीपीपी यू-1	सी	महाराष्ट्र	कोयला	660
18	न्यू उमतरू यू-1 व यू-2	एस	मेघालय	हाइड्रो	40
19	तुरियल एचईपी यू-1 व यू-2	सी	मिजोरम	हाइड्रो	60
20	छाबड़ा एससीटीपीपी यू-5	एस	राजस्थान	कोयला	660
21	दिक्कू यू-1 व यू-2	पी	सिक्किम	हाइड्रो	96
22	ताशिडिंग यू-1 व यू-2	पी	सिक्किम	हाइड्रो	97
23	बारा टीपीपी यू-3	पी	उत्तर प्रदेश	कोयला	660
24	मेजा एसटीपीपी यूनिट-1	सी	उत्तर प्रदेश	कोयला	660
25	हल्दिया, आईपीसीएल यूनिट-2	पी	पश्चिम बंगाल	कोयला	150
26	इंडिया पावर टीपीपी (हल्दिया) यू-1	पी	पश्चिम बंगाल	कोयला	150

**2018-19**

1	पारे, यू-1 व यू-2	सी	अरुणाचल प्रदेश	हाइड्रो	110
2	लकवा रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट यू 1-7	एस	असम	गैस	69.755
3	बोंगाईगांव टीपीपी यू-3	सी	असम	कोयला	250
4	नबीनगर टीपीएस यू-3	सी	बिहार	कोयला	250
5	उचपिंडा टीपीपी यू-4	पी	छत्तीसगढ़	कोयला	360
6	महान टीपीपी, यूनिट-2	पी	मध्य प्रदेश	कोयला	600
7	श्री सिंघाजी टीपीपी (फेज-II) यू-3 व यू-4	एस	मध्य प्रदेश	कोयला	1320
8	गदरवारा टीपीपी यू-1	सी	मध्य प्रदेश	कोयला	800
9	सोलापुर एसटीपीपी यू-2	सी	महाराष्ट्र	कोयला	660
10	छाबड़ा टीपीपी एक्सटें. यू-6	एस	राजस्थान	कोयला	660
11	पुलीचिताला एचईपी, यू-4	एस	तेलंगाना	हाइड्रो	30
12	कोथागुडेम टीपीएस स्टेज-VII	एस	तेलंगाना	कोयला	800
13	दिशेरगढ़ टीपीपी	पी	पश्चिम बंगाल	कोयला	12

सी: केंद्रीय क्षेत्र, एस: राज्य क्षेत्र, पी: निजी क्षेत्र

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1059

जिसका उत्तर 27 जून, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत वितरण कंपनियों की कार्यदक्षता

1059. श्री पंकज चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विद्युत वितरण कंपनियों की स्थिति में सुधार के लिए कोई योजना तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और 24 घंटे सुलभ विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए बंद पड़े विद्युत संयंत्रों को दोबारा प्रारंभ करने के लिए किसी योजना को तैयार करने का विचार है ताकि मांग के अनुसार इसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के वित्तीय तथा प्रचालनात्मक कारोबार के लिए नवंबर 2015 में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) तैयार एवं शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य ब्याज भार कम करना, विद्युत की लागत कम करना, वितरण क्षेत्र में विद्युत हानियों को कम करना तथा डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार लाना है।

सरकार ने देश में विश्वसनीय तथा सस्ती विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्कों को सुदृढ़ बनाने के लिए एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) जैसी विभिन्न योजनाएं भी शुरू की हैं।

(घ) और (ङ) : भारत सरकार ने संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं के मामलों का समाधान करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) गठित की थी। उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) की सिफारिशों के आधार पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने संकटग्रस्त विद्युत परियोजनाओं से संबंधित सिफारिशों की हैं। सरकार द्वारा यथाअनुमोदित जीओएम की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

- अल्पकालिक विद्युत क्रय करार (पीपीए) के लिए कोल लिंकेज की अनुमति।
- डिस्कॉमों द्वारा भुगतान में चूक होने के कारण पीपीए समाप्त होने की स्थिति में उपयोग किए जाने वाले अनुमत्य मौजूदा कोयला लिंकेज।
- पूर्व घोषित लिंकेजों के विरुद्ध नोडल एजेंसी द्वारा थोक विद्युत की खरीद।
- केंद्र/राज्य जेनको विद्युत के समूहक के रूप में कार्य करें।
- विद्युत क्षेत्र के लिए विशेष फॉरवर्ड ई-नीलामी के लिए कोयले की मात्रा में वृद्धि।
- कोल लिंकेज नीलामी नियमित अंतराल पर आयोजित की जाए।
- कोयले की कम आपूर्तियों की नान-लैप्सिंग।
- वार्षिक संविदागत मात्रा (एसीक्यू) दक्षता आधार पर निर्धारित की जाए।
- विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) के भुगतान को अनिवार्य बनाया गया है।
- विद्युत क्रय करार (पीपीए)/ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए)/दीर्घकालिक खुली पहुंच (एलटीओए), पोस्ट नेशनल कंपनी लॉ ट्रीब्यूनल (एनसीएलटी) परिदृश्य को रद्द न करना।
- वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) का पालन न करने पर पीपीए रद्द न करना।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1066

जिसका उत्तर 27 जून, 2019 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थाएं

1066. श्री हरीश द्विवेदी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में संचालित राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थानों (एनपीटीआई) की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का देश में ऐसे और अधिक संस्थानों की स्थापना करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनपीटीआई) जिसका निगमित कार्यालय फरीदाबाद, हरियाणा में है, के नीचे दिए गए राज्य-वार ब्यौरे के अनुसार संपूर्ण देश में आठ शाखाएं/इकाइयां कार्य कर रही हैं:-

1. राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (उत्तरी क्षेत्र), बदरपुर, दिल्ली
2. राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (जल विद्युत प्रशिक्षण केंद्र), नंगल, पंजाब
3. राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (विद्युत प्रणाली प्रशिक्षण संस्थान), बेंगलूरु, कर्नाटक
4. राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (हॉट लाइन प्रशिक्षण केंद्र), बेंगलूरु, कर्नाटक
5. राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (दक्षिणी क्षेत्र), नवेली, तमिलनाडु
6. राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (पूर्वी क्षेत्र), दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल
7. राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (पूर्वोत्तर क्षेत्र), गुवाहाटी, असम
8. राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (पश्चिम क्षेत्र), नागपुर, महाराष्ट्र

इसके अतिरिक्त, एनपीटीआई की दो शाखाएं/इकाइयां, एक अलापुझा (केरल) और दूसरी शिवपुरी (मध्य प्रदेश) में स्वीकृत की गई हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1099

जिसका उत्तर 27 जून, 2019 को दिया जाना है।

तमिलनाडु में विद्युत की मांग और आपूर्ति

1099. श्री एच. वसंतकुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विद्युत की कुल मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है और देश में विभिन्न स्रोतों से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी विद्युत का उत्पादन हुआ है;
- (ख) क्या अधिक मांग और कम मांग दोनों घंटों के दौरान विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच एक बृहद अंतर मौजूद है जिसके परिणामस्वरूप देश विशेषकर तमिलनाडु में अधिकांश राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में विद्युत की कमी हो रही है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (घ) देश के प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को पाटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है; और
- (ङ) देश के प्रत्येक राज्य विशेषकर तमिलनाडु में स्थापित की जा रही मुख्य परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी स्थान-वार अनुमानित लागत कितनी है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : राज्यों द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को दी गई सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों और चालू वर्ष 2019-2020 (मई 2019 तक) के दौरान देश में विद्युत की मांग एवं विद्युत की आपूर्ति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष 2019-2020 (मई 2019 तक) के दौरान देश में परंपरागत स्रोतों (ताप, जल विद्युत एवं न्यूक्लियर) से विद्युत उत्पादन का स्रोत-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ख) से (घ) : राज्यों द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को दी गई सूचना के अनुसार अप्रैल-मई 2019 के दौरान देश में व्यस्ततम एवं विद्युत कमियां क्रमशः 0.5 प्रतिशत एवं 0.4 प्रतिशत थीं। वर्ष 2018-19 एवं चालू वर्ष 2019-20 (मई, 2019 तक) तमिलनाडु सहित देश में व्यस्ततम मांग एवं व्यस्ततम पूर्ति का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

31.05.2019 तक की स्थिति के अनुसार, संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 357 गीगावाट (जीडब्ल्यू) है जो देश की व्यस्ततम मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा, राज्य दैनिक आधार पर किसी भी कमी को पूरा करने के लिए पावर एक्सचेंजों से विद्युत क्रय कर सकते हैं।

(ङ) : तमिलनाडु राज्य सहित देश में स्थापित की जा रही प्रमुख विद्युत परियोजनाओं एवं अनुमानित लागत का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-1**

**लोक सभा में दिनांक 27.06.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1099 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।**

\*\*\*\*\*

**देश की राज्य-वार विद्युत आपूर्ति स्थिति - ऊर्जा**

(आंकड़े मिलियन यूनिट निवल में)

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2018 - मार्च, 2019				अप्रैल, 2017 - मार्च, 2018				अप्रैल, 2016 - मार्च, 2017			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,571	1,571	0	0.0	1,610	1,601	9	0.5	1,645	1,645	0	0.0
दिल्ली	32,299	32,282	17	0.1	31,826	31,806	19	0.1	30,829	30,797	32	0.1
हरियाणा	53,665	53,665	0	0.0	50,775	50,775	0	0.0	48,895	48,895	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	9,850	9,618	232	2.4	9,399	9,346	53	0.6	8,831	8,779	52	0.6
जम्मू व कश्मीर	18,988	15,616	3,372	17.8	18,808	15,050	3,759	20.0	17,398	14,194	3,204	18.4
पंजाब	55,328	55,315	13	0.0	54,812	54,812	0	0.0	53,098	53,098	0	0.0
राजस्थान	79,815	79,626	189	0.2	71,194	70,603	591	0.8	67,838	67,415	423	0.6
उत्तर प्रदेश	117,133	116,149	984	0.8	120,052	118,303	1,749	1.5	107,569	105,701	1,868	1.7
उत्तराखंड	13,845	13,753	92	0.7	13,457	13,426	31	0.2	13,069	12,986	83	0.6
<b>उत्तरी क्षेत्र</b>	<b>382,493</b>	<b>377,595</b>	<b>4,898</b>	<b>1.3</b>	<b>371,934</b>	<b>365,723</b>	<b>6,211</b>	<b>1.7</b>	<b>349,172</b>	<b>343,513</b>	<b>5,659</b>	<b>1.6</b>
छत्तीसगढ़	26,471	26,417	54	0.2	25,916	25,832	84	0.3	23,750	23,697	53	0.2
गुजरात	116,372	116,356	15	0.0	109,984	109,973	12	0.0	103,706	103,705	1	0.0
मध्य प्रदेश	76,056	76,054	2	0.0	69,925	69,925	0	0.0	65,759	65,758	1	0.0
महाराष्ट्र	158,295	158,157	137	0.1	149,761	149,531	230	0.2	139,295	139,228	67	0.0
दमन और दीव	2,558	2,558	0	0.0	2,534	2,534	0	0.0	2,398	2,398	0	0.0
दादरा नागर हवेली	6,303	6,302	0	0.0	6,168	6,168	0	0.0	6,021	6,021	0	0.0
गोवा	4,295	4,292	3	0.1	4,117	4,117	0	0.0	4,319	4,317	2	0.0
<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>	<b>390,349</b>	<b>390,136</b>	<b>212</b>	<b>0.1</b>	<b>368,405</b>	<b>368,080</b>	<b>326</b>	<b>0.1</b>	<b>345,247</b>	<b>345,127</b>	<b>120</b>	<b>0.0</b>
आंध्र प्रदेश	63,861	63,804	58	0.1	58,384	58,288	96	0.2	54,300	54,257	43	0.1
तेलंगाना	66,489	66,427	62	0.1	60,319	60,235	83	0.1	53,030	53,018	12	0.0
कर्नाटक	71,764	71,695	69	0.1	67,869	67,701	168	0.2	66,899	66,537	362	0.5
केरल	25,016	24,898	118	0.5	25,002	24,917	85	0.3	24,296	24,261	35	0.1
तमिलनाडु	109,482	109,380	102	0.1	106,006	105,839	166	0.2	104,511	104,487	24	0.0
पुडुचेरी	2,766	2,756	10	0.3	2,668	2,661	7	0.3	2,548	2,545	3	0.1
लक्षद्वीप	46	46	0	0.0	47	47	0	0.0	48	48	0	0.0
<b>दक्षिणी क्षेत्र</b>	<b>339,377</b>	<b>338,960</b>	<b>417</b>	<b>0.1</b>	<b>320,248</b>	<b>319,642</b>	<b>606</b>	<b>0.2</b>	<b>305,588</b>	<b>305,106</b>	<b>482</b>	<b>0.2</b>
बिहार	30,061	29,825	236	0.8	27,019	26,603	417	1.5	25,711	25,130	581	2.3
डीवीसी	22,745	22,372	372	1.6	21,549	21,373	176	0.8	18,929	18,791	138	0.7
झारखंड	8,737	8,490	247	2.8	7,907	7,753	154	1.9	7,960	7,906	54	0.7
ओडिशा	32,145	32,115	30	0.1	28,802	28,706	96	0.3	26,758	26,756	2	0.0
पश्चिम बंगाल	51,471	51,287	184	0.4	50,760	50,569	191	0.4	47,948	47,807	141	0.3
सिक्किम	527	527	0	0.1	485	484	0	0.1	475	475	0	0.0
अंडमान-निकोबार	346	323	23	6.7	328	299	29	8.9	240	180	60	25
<b>पूर्वी क्षेत्र</b>	<b>145,686</b>	<b>144,616</b>	<b>1,070</b>	<b>0.7</b>	<b>136,522</b>	<b>135,489</b>	<b>1,034</b>	<b>0.8</b>	<b>127,783</b>	<b>126,867</b>	<b>916</b>	<b>0.7</b>
अरुणाचल प्रदेश	869	859	9	1.1	799	788	10	1.3	729	714	15	2.1
असम	9,566	9,238	328	3.4	9,094	8,779	315	3.5	9,020	8,694	326	3.6
मणिपुर	905	895	10	1.2	874	827	46	5.3	764	740	24	3.1
मेघालय	1,957	1,956	2	0.1	1,557	1,553	3	0.2	1,715	1,715	0	0.0
मिजोरम	643	635	8	1.2	497	488	9	1.7	514	501	13	2.5
नागालैंड	888	795	93	10.5	794	774	20	2.5	757	745	12	1.6
त्रिपुरा	1,863	1,841	22	1.2	2,602	2,553	49	1.9	1,644	1,621	23	1.4
<b>पूर्वोत्तर क्षेत्र</b>	<b>16,691</b>	<b>16,219</b>	<b>472</b>	<b>2.8</b>	<b>16,216</b>	<b>15,763</b>	<b>453</b>	<b>2.8</b>	<b>15,140</b>	<b>14,720</b>	<b>420</b>	<b>2.8</b>
<b>अखिल भारतीय</b>	<b>1,274,595</b>	<b>1,267,526</b>	<b>7,070</b>	<b>0.6</b>	<b>1,213,326</b>	<b>1,204,697</b>	<b>8,629</b>	<b>0.7</b>	<b>1,142,928</b>	<b>1,135,332</b>	<b>7,596</b>	<b>0.7</b>

अप्रैल, 2019 - मई*, 2019 की अवधि के दौरान देश की राज्य-वार विद्युत आपूर्ति स्थिति - ऊर्जा				
राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2019 - मई, 2019			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	271	271	0	0.0
दिल्ली	6,065	6,064	1	0.0
हरियाणा	8,679	8,679	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	1,654	1,644	10	0.6
जम्मू व कश्मीर	3,364	2,720	644	19.1
पंजाब	8,475	8,475	0	0.0
राजस्थान	13,313	13,300	13	0.1
उत्तर प्रदेश	22,897	22,817	79	0.3
उत्तराखंड	2,449	2,449	0	0.0
<b>उत्तरी क्षेत्र</b>	<b>67,166</b>	<b>66,419</b>	<b>747</b>	<b>1.1</b>
छत्तीसगढ़	5,765	5,764	1	0.0
गुजरात	21,748	21,748	0	0.0
मध्य प्रदेश	12,735	12,735	0	0.0
महाराष्ट्र	29,295	29,294	0	0.0
दमन और दीव	443	443	0	0.0
दादरा नागर हवेली	1,106	1,106	0	0.0
गोवा	801	801	0	0.0
<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>	<b>71,893</b>	<b>71,892</b>	<b>1</b>	<b>0.0</b>
आंध्र प्रदेश	11,709	11,702	7	0.1
तेलंगाना	10,772	10,771	1	0.0
कर्नाटक	13,569	13,568	1	0.0
केरल	4,888	4,878	10	0.2
तमिलनाडु	20,031	20,030	1	0.0
पुडुचेरी	517	516	1	0.1
लक्षद्वीप	8	8	0	0.0
<b>दक्षिणी क्षेत्र</b>	<b>61,486</b>	<b>61,465</b>	<b>21</b>	<b>0.0</b>
बिहार	5,662	5,659	3	0.1
झीवीसी	3,757	3,755	2	0.1
झारखंड	1,505	1,495	10	0.7
ओडिशा	5,261	5,261	0	0.0
पश्चिम बंगाल	9,920	9,897	23	0.2
सिक्किम	78	78	0	0.0
अंडमान-निकोबार	58	54	4	6.7
<b>पूर्वी क्षेत्र</b>	<b>26,182</b>	<b>26,144</b>	<b>38</b>	<b>0.1</b>
अरुणाचल प्रदेश	127	126	1	0.6
असम	1,573	1,434	139	8.8
मणिपुर	135	134	2	1.2
मेघालय	336	318	18	5.5
मिजोरम	100	99	1	0.8
नागालैंड	124	123	1	0.8
त्रिपुरा	292	288	4	1.3
<b>पूर्वोत्तर क्षेत्र</b>	<b>2,686</b>	<b>2,521</b>	<b>165</b>	<b>6.2</b>
<b>अखिल भारतीय</b>	<b>229,413</b>	<b>228,441</b>	<b>972</b>	<b>0.4</b>

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 27.06.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1099 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ईंधन	उत्पादन (एमयू में)			
		2019-20 (मई, 19 तक)*	2018-19	2017-18	2016-17
अंडमान निकोबार	डीजल	19.89	120.73	258.79	215.56
	हाइड्रो				
अंडमान निकोबार कुल		19.89	120.73	258.79	215.56
आंध्र प्रदेश	कोयला	10872.06	56120.17	57202.51	58334.04
	डीजल	0.00	0.00	0.00	0.00
	प्राकृतिक गैस	458.11	4750.71	3490.26	5921.60
	हाइड्रो	143.29	1178.88	1159.03	992.52
अंधरा प्रधान कुल		11473.46	62049.76	61851.80	65248.16
अरुणाचल प्रदेश	हाइड्रो	235.78	1399.02	1416.74	1249.01
अरुणाचल प्रदेश कुल		235.78	1399.02	1416.74	1249.01
असम	कोयला	708.16	2824.21	1732.17	1680.27
	बहु ईंधन	0.00	0.00	0.00	0.00
	प्राकृतिक गैस	474.88	2706.41	2582.14	2816.24
	हाइड्रो	189.29	1490.54	1657.81	1484.86
असम कुल		1372.33	7021.16	5972.12	5981.37
बीबीएमबी	हाइड्रो	#	#	5134.02	5168.27
बीबीएमबी कुल		#	#	5134.02	5168.27
भूटान (आयात)	हाइड्रो	592.70	4406.62	4778.33	5617.34
भूटान (आयात) कुल		592.70	4406.62	4778.33	5617.34
बिहार	कोयला	5700.46	32170.52	28440.03	24514.85
	हाइड्रो				
बिहार कुल		5700.46	32170.52	28440.03	24514.85
छत्तीसगढ़	कोयला	20512.43	115471.25	109863.69	105532.42
	हाइड्रो	40.85	243.08	178.07	153.76
छत्तीसगढ़ कुल		20553.28	115714.33	110041.76	105686.18
दिल्ली	कोयला	0.00	1400.33	1556.97	1704.85
	प्राकृतिक गैस	938.15	5735.71	5491.73	4548.41
दिल्ली कुल		938.15	7136.04	7048.70	6253.26
डीवीसी	कोयला	7243.99	36676.10	35694.21	33310.93
	नापथा	0.00	0.00	0.00	0.00
	हाइड्रो	6.08	181.15	256.35	255.54
डीवीसी कुल		7250.07	36857.25	35950.56	33566.47
गोवा	नापथा	0.00	0.00	0.00	0.00
गोवा कुल		0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	कोयला	15543.80	75247.34	74637.18	79277.30
	लिंगनाइट	922.23	6504.54	6406.77	6110.51
	बहु ईंधन	0.00	0.00	0.00	0.00
	प्राकृतिक गैस	2505.67	12796.73	13924.00	10416.92
	न्यूक्लियर	345.48	999.93	0.00	0.00



	हाइड्रो	107.33	1042.81	1551.92	3943.88
<b>गुजरात कुल</b>		<b>19424.51</b>	<b>96591.35</b>	<b>96519.87</b>	<b>99748.61</b>
हरियाणा	कोयला	2881.13	24838.34	25768.59	17856.39
	प्राकृतिक गैस	0.00	597.09	837.38	1034.05
	हाइड्रो				
<b>हरियाणा कुल</b>		<b>2881.13</b>	<b>25435.43</b>	<b>26605.97</b>	<b>18890.44</b>
हिमाचल प्रदेश	हाइड्रो	5325.15	26931.50	28921.17	27326.86
<b>हिमाचल प्रदेश कुल</b>		<b>5325.15</b>	<b>26931.50</b>	<b>28921.17</b>	<b>27326.86</b>
जम्मू और कश्मीर	हाई स्पीड डीजल	0.00	0.00	0.00	0.00
	हाइड्रो	3860.98	16541.58	14937.56	15377.69
<b>जम्मू और कश्मीर कुल</b>		<b>3860.98</b>	<b>16541.58</b>	<b>14937.56</b>	<b>15377.69</b>
झारखंड	कोयला	2390.18	13352.12	13806.95	14697.30
	हाइड्रो	0.66	101.19	190.38	30.13
<b>झारखंड कुल</b>		<b>2390.84</b>	<b>13453.31</b>	<b>13997.33</b>	<b>14727.43</b>
कर्नाटक	कोयला	5673.74	30352.74	29992.78	30460.83
	डीजल	0.00	0.00	0.00	0.00
	प्राकृतिक गैस	0.00	0.00		
	न्यूक्लियर	1277.06	7216.53	7533.41	6533.49
	हाइड्रो	2065.63	12187.69	7142.62	6772.35
<b>कर्नाटक कुल</b>		<b>9016.43</b>	<b>49756.96</b>	<b>44668.81</b>	<b>43766.67</b>
केरल	डीजल	12.13	4.07	1.92	47.72
	नापथा	0.00	0.81	46.84	15.40
	हाइड्रो	1301.35	7320.21	5199.26	4067.49
<b>केरल कुल</b>		<b>1313.48</b>	<b>7325.09</b>	<b>5248.02</b>	<b>4130.61</b>
मध्य प्रदेश	कोयला	21248.59	118281.10	108586.66	91083.18
	हाइड्रो	533.91	3396.67	2586.81	7156.66
<b>मध्य प्रदेश कुल</b>		<b>21782.50</b>	<b>121677.77</b>	<b>111173.47</b>	<b>98239.84</b>
महाराष्ट्र	कोयला	20693.94	112729.36	103664.54	92187.09
	प्राकृतिक गैस	1388.45	8451.14	9066.39	9480.86
	न्यूक्लियर	2013.52	10766.42	6876.25	10860.20
	हाइड्रो	1777.87	5076.86	4861.12	5923.70
<b>महाराष्ट्र कुल</b>		<b>25873.78</b>	<b>137023.78</b>	<b>124468.30</b>	<b>118451.85</b>
मणिपुर	डीजल	0.00	0.00	0.00	0.00
	हाइड्रो	70.89	602.61	837.74	741.07
<b>मणिपुर कुल</b>		<b>70.89</b>	<b>602.61</b>	<b>837.74</b>	<b>741.07</b>
मेघालय	हाइड्रो	146.65	1133.35	1401.03	916.70
<b>मेघालय कुल</b>		<b>146.65</b>	<b>1133.35</b>	<b>1401.03</b>	<b>916.70</b>
मिजोरम	डीजल				
	हाइड्रो	7.89	168.44	78.37	-
<b>मिजोरम कुल</b>		<b>7.89</b>	<b>168.44</b>	<b>78.37</b>	<b>-</b>
नागालैंड	कोयला				
	हाइड्रो	5.54	231.47	274.39	258.94
<b>नागालैंड कुल</b>		<b>5.54</b>	<b>231.47</b>	<b>274.39</b>	<b>258.94</b>
ओडिशा	कोयला	7125.04	40046.92	40489.84	50727.98
	हाइड्रो	1111.62	6777.45	6022.99	5113.20
<b>ओडिशा कुल</b>		<b>8236.66</b>	<b>46824.37</b>	<b>46512.83</b>	<b>55841.18</b>
पुडुचेरी	प्राकृतिक गैस	42.61	229.88	226.45	246.84
<b>पुडुचेरी कुल</b>		<b>42.61</b>	<b>229.88</b>	<b>226.45</b>	<b>246.84</b>
पंजाब	कोयला	3706.30	26364.26	24728.05	22955.84
	हाइड्रो	2699.25	13312.45	9452.11	8465.19

पंजाब कुल		<b>6405.55</b>	<b>39676.71</b>	<b>34180.16</b>	<b>31421.03</b>
राजस्थान	कोयला	6422.05	38618.72	31566.18	33022.10
	लिंगनाइट	1178.12	8057.20	8504.76	8085.74
	प्राकृतिक गैस	320.05	1569.66	2147.34	2245.74
	न्यूक्लियर	1326.29	8034.28	8605.80	7472.60
	हाइड्रो	6.73	698.40	819.53	965.99
राजस्थान कुल		<b>9253.24</b>	<b>56978.26</b>	<b>51643.61</b>	<b>51792.17</b>
सिक्किम	डीजल				
	हाइड्रो	1978.11	9022.07	8887.99	4330.40
सिक्किम कुल		<b>1978.11</b>	<b>9022.07</b>	<b>8887.99</b>	<b>4330.40</b>
तमिलनाडु	कोयला	8308.52	47937.57	45079.64	49220.63
	डीजल	0.00	0.00	0.00	12.01
	लिंगनाइट	3479.67	20021.76	19924.61	20528.87
	प्राकृतिक गैस	476.55	2904.00	2762.05	2741.38
	नापथा	0.00	0.05	6.12	10.98
	न्यूक्लियर	1363.35	7633.54	11694.28	9670.69
	हाइड्रो	354.12	5281.59	2919.60	2397.12
तमिलनाडु कुल		<b>13982.21</b>	<b>83778.51</b>	<b>82386.30</b>	<b>84581.68</b>
तेलंगाना	कोयला	9207.08	48218.42	47312.22	41279.34
	हाइड्रो	212.89	2838.67	2601.75	2111.89
तेलंगाना कुल		<b>9419.97</b>	<b>51057.09</b>	<b>49913.97</b>	<b>43391.23</b>
त्रिपुरा	प्राकृतिक गैस	1202.32	6630.85	5999.27	5873.89
	हाइड्रो				
त्रिपुरा कुल		<b>1202.32</b>	<b>6630.85</b>	<b>5999.27</b>	<b>5873.89</b>
उत्तर प्रदेश	कोयला	21591.28	116227.68	121414.43	112815.03
	प्राकृतिक गैस	456.04	2206.47	2004.78	2772.63
	न्यूक्लियर	616.25	3161.89	3636.38	3378.89
	हाइड्रो	109.48	1176.36	1486.69	1175.56
उत्तर प्रदेश कुल		<b>22773.05</b>	<b>122772.40</b>	<b>128542.28</b>	<b>120142.11</b>
उत्तराखंड	प्राकृतिक गैस	399.05	1254.24	1622.99	969.01
	हाइड्रो	2432.18	13741.12	13983.61	13281.53
उत्तराखंड कुल		<b>2831.23</b>	<b>14995.36</b>	<b>15606.60</b>	<b>14250.54</b>
पश्चिम बंगाल	कोयला	9221.15	50804.68	50217.87	49475.44
	हाई स्पीड डीजल	0.00	0.00	0.00	0.00
	हाइड्रो	428.28	2818.45	2164.04	2717.25
पश्चिम बंगाल कुल		<b>9649.43</b>	<b>53623.13</b>	<b>52381.91</b>	<b>52192.69</b>
कुल योग		<b>226010.27</b>	<b>1249336.70</b>	<b>1206306.25</b>	<b>1160140.94</b>

\* अनंतिम आधारित वास्तविक-सह-मूल्यांकन

1. 25 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता के परंपरागत स्रोतों (हाइड्रो, थर्मल और न्यूक्लियर) से सकल उत्पादन है।
2. 25 मेगावाट तक के स्टेशनों से उत्पादन की 01.04.2010 से निगरानी नहीं की जा रही है।
3. ऊपर दिए गए आंकड़ें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भौगोलिक रूप से स्थित सभी विद्युत स्टेशनों (केंद्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र) का सकल उत्पादन दर्शाते हैं।
4. # 2018-19 से आगे बीबीएमबी उत्पादन/क्षमता को संबंधित राज्यों के स्टेशनों की जल विद्युत उत्पादन/क्षमता में शामिल किया गया है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 27.06.2019 को उत्तरार्ध अतारांकित प्रश्न संख्या 1099 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

देश में राज्य-वार विद्युत आपूर्ति स्थिति - व्यस्ततम

(आंकड़े मेगावाट में)

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	अप्रैल, 2018 - मार्च, 2019				अप्रैल, 2019 - मई, 2019 (अनंतिम)			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	पूरी नहीं की गई मांग	
	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	( % )	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	( % )
चंडीगढ़	369	369	0	0.0	356	356	0	0.0
दिल्ली	7,016	7,016	0	0.0	6,461	6,461	0	0.0
हरियाणा	10,270	10,270	0	0.0	8,874	8,874	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	1,700	1,700	0	0.0	1,480	1,480	0	0.0
जम्मू व कश्मीर	3,080	2,464	616	20.0	2,885	2,426	459	15.9
पंजाब	12,638	12,638	0	0.0	8,802	8,802	0	0.0
राजस्थान	13,276	13,276	0	0.0	11,791	11,791	0	0.0
उत्तर प्रदेश	20,498	20,062	436	2.1	22,487	22,057	430	1.9
उत्तराखंड	2,216	2,216	0	0.0	2,155	2,155	0	0.0
<b>उत्तरी क्षेत्र</b>	<b>63,166</b>	<b>61,726</b>	<b>1,440</b>	<b>2.3</b>	<b>60,987</b>	<b>60,078</b>	<b>909</b>	<b>1.5</b>
छत्तीसगढ़	4,444	4,270	174	3.9	4,596	4,574	22	0.5
गुजरात	17,053	16,963	90	0.5	18,094	18,094	0	0.0
मध्य प्रदेश	13,815	13,815	0	0.0	10,145	10,131	14	0.1
महाराष्ट्र	23,864	23,254	610	2.6	23,621	23,613	8	0.0
दमन व दीव	357	356	1	0.2	344	344	0	0.1
दादरा नागर हवेली	816	815	1	0.1	818	818	0	0.0
गोवा	596	596	0	0.0	594	594	0	0.0
<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>	<b>56,675</b>	<b>55,821</b>	<b>853</b>	<b>1.5</b>	<b>57,113</b>	<b>57,093</b>	<b>20</b>	<b>0.0</b>
आंध्र प्रदेश	9,459	9,453	6	0.1	9,854	9,854	0	0.0
तेलंगाना	10,815	10,815	0	0.0	10,269	10,202	67	0.7
कर्नाटक	12,877	12,877	0	0.0	12,700	12,688	12	0.1
केरल	4,245	4,228	17	0.4	4,316	4,300	16	0.4
तमिलनाडु	15,483	15,448	35	0.2	15,680	15,659	21	0.1
पुडुचेरी	440	421	19	4.3	453	444	9	2.0
लक्षद्वीप	8	8	0	0.0	8	8	0	0.0
<b>दक्षिणी क्षेत्र</b>	<b>49,623</b>	<b>49,534</b>	<b>89</b>	<b>0.2</b>	<b>49,218</b>	<b>49,103</b>	<b>115</b>	<b>0.2</b>
बिहार	5,115	5,084	31	0.6	5,481	5,481	0	0.0
डीवीसी	3,100	3,098	2	0.1	3,048	3,048	0	0.0
झारखंड	1,339	1,291	48	3.6	1,330	1,330	0	0.0
ओडिशा	5,357	5,357	0	0.0	5,142	5,140	3	0.1
पश्चिम बंगाल	9,130	9,123	7	0.1	9,335	9,335	0	0.0
सिक्किम	106	106	0	0.0	100	100	0	0.0
अंडमान-निकोबार	58	54	4	6.9	58	54	4	6.9
<b>पूर्वी क्षेत्र</b>	<b>23,141</b>	<b>22,733</b>	<b>408</b>	<b>1.8</b>	<b>23,558</b>	<b>23,558</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
अरुणाचल प्रदेश	150	148	2	1.2	140	138	2	1.2
असम	1,865	1,809	56	3.0	1,910	1,673	237	12.4
मणिपुर	219	216	3	1.2	197	188	9	4.8
मेघालय	374	372	1	0.4	337	337	0	0.0
मिजोरम	121	119	2	1.7	116	113	3	2.8
नागालैंड	156	138	18	11.6	157	131	27	16.9
त्रिपुरा	298	293	5	1.7	297	295	1	0.5
<b>पूर्वाञ्चल क्षेत्र</b>	<b>2,967</b>	<b>2,850</b>	<b>117</b>	<b>3.9</b>	<b>2,848</b>	<b>2,780</b>	<b>68</b>	<b>2.4</b>
<b>अखिल भारत</b>	<b>177,022</b>	<b>175,528</b>	<b>1,494</b>	<b>0.8</b>	<b>183,513</b>	<b>182,533</b>	<b>981</b>	<b>0.5</b>

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह स्टैंड अलोन प्रणाली में हैं, इसलिए इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का भाग नहीं है। बांग्लादेश को आपूर्ति छोड़कर।

टिप्पणी: राज्य यूटिलिटी/विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट संकलित की गई है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-IV**

लोक सभा में दिनांक 27.06.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1099 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**देश में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा**

क्रम सं.	राज्य	जिला	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का अनुमानित समय	नवीनतम लागत करोड़ रुपए में
			<b>केंद्रीय क्षेत्र</b>				
1	बिहार	पटना	बाढ़ एसटीपीपी-I	यू-1	660	अप्रैल-20	15095.67
				यू-2	660	अप्रैल-21	
				यू-3	660	मई-22	
2	बिहार	औरंगाबाद	नबी नगर टीपीपी	यू-4	250	अप्रैल-20	7998.00
3	बिहार	औरंगाबाद	न्यू नबी नगर टीपीपी	यू-1	660	सितंबर-19	15131.67
				यू-2	660	अप्रैल-20	
				यू-3	660	मार्च-22	
4	छत्तीसगढ़	रायगढ़	लारा एसटीपीपी	यू-2	800	दिसं-19	11846.00
5	झारखंड	चतरा	नॉर्थ करणपुरा एसटीपीपी	यू-1	660	अक्टू-20	14367.00
				यू-2	660	अक्टू-21	
				यू-3	660	मार्च-22	
6	मध्य प्रदेश	नरसिंहपुर	गदरवारा एसटीपीपी	यू-2	800	दिसं-19	11638.55
7	मध्य प्रदेश	खरगोन	खरगोन एसटीपीपी	यू-1	660	जुलाई-19	9870.51
				यू-2	660	मार्च-20	
8	ओडिशा	सुंदरगढ़	दालीपल्ली एसटीपीपी	यू-1	800	सितंबर-19	13740.53
				यू-2	800	जून-20	
9	राजस्थान	बीकानेर	बरसिंगसर टीपीपी एक्सटें.	यू-1	250	ऑन होल्ड	2112.59
10	राजस्थान	बीकानेर	बिथनोक टीपीपी	यू-1	250	ऑन होल्ड	2196.30
11	तेलंगाना	करीम नगर	तेलंगाना एसटीपीपी स्टे.-I	यू-1	800	अगस्त-20	10599.00
				यू-2	800	जुलाई-21	
12	तमिलनाडु	नैवेली	नैवेली न्यू टीपीपी	यू-1	500	अगस्त-19	5907.11
				यू-2	500	मार्च-20	
13	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	मेजा एसटीपीपी	यू-2	660	जून-20	10821.00
14	उत्तर प्रदेश	कानपुर	घाटमपुर टीपीपी	यू-1	660	फरवरी-22	17237.80
				यू-2	660	अगस्त-23	
				यू-3	660	फरवरी-23	
15	उत्तर प्रदेश	कानपुर	टांडा टीपीपी स्टे.-II	यू-5	660	सितंबर-19	9188.98
				यू-6	660	अप्रैल-20	
16	झारखंड	रामगढ़	पतरातु एसटीपीपी	यू-1	800	मई-22	उपलब्ध नहीं
				यू-2	800	सितंबर-22	
				यू-3	800	दिसं-22	
17	ओडिशा	अंगुल	राऊरकेला पीपी-II एक्सपेंशन	यू-1	250	अप्रैल-22	1885.13
	<b>कुल केंद्रीय क्षेत्र</b>				<b>20420</b>		
	<b>राज्य क्षेत्र</b>						
1	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	डॉ. नारल्ला टाटा राव टीपीएस स्टे.-V	यू-1	800	फरवरी-20	5515.00

2	आंध्र प्रदेश	एसपीएसआर नेल्लोर	श्री दामोदरम संजीव्याह टीपीपी स्टे.-II	यू-1	800	सितंबर-20	6034.00
3	असम	डिब्रूगढ़	नामरूप सीसीजीटी	एसटी	36.15	दिसं-19	693.73
4	गुजरात	खेड़ा	वांकाबोरी टीपीएस एक्सटें.	यू-8	800	अक्टू.-19	3536.51
5	कर्नाटक	बैंगलोर	येलहांका सीसीपीपी	जीटी+एस टी	370	अक्टू.-19	1571.18
6	महाराष्ट्र	जलगांव	भुसावल टीपीएस	यू-6	660	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
7	ओडिशा	झारसुगड़ा	आईबी वैली टीपीपी	यू-3	660	जुलाई-19	11965.00
				यू-4	660	सितंबर-19	
8	राजस्थान	गंगानगर	सूरतगढ़ एससीटीपीपी	यू-7	660	सितंबर-19	7920.00
				यू-8	660	सितंबर-20	
9	तेलंगाना	खम्माम	भद्रादरी टीपीपी/टीएसजैको/भेल	यू-1	270	मार्च-20	8536.98
				यू-2	270	सितंबर-20	
				यू-3	270	मार्च-21	
				यू-4	270	सितंबर-22	
10	तमिलनाडु	थिरुवल्लूर	एन्नोर एक्सपें. एससीटीपीपी	यू-1	660	जुलाई-21	5421.38
11	तमिलनाडु	थिरुवल्लूर	एन्नोर एससीटीपीपी	यू-1	660	जुलाई-21	9800.00
				यू-2	660	फरवरी-22	
12	तमिलनाडु	थिरुवल्लूर	नॉर्थ चेन्नई टीपीपी स्टे.-III	यू-1	800	जुलाई-20	6376.00
13	तमिलनाडु	थूथुकुडी	उडनगुडी एसटीपीपी स्टेज-I	यू-1	660	दिसं-21	13076.71
				यू-2	660	जून-22	
14	तमिलनाडु	रामनाद	अपर सुपर क्रिटिकल टीपीपी	यू-1	800	मार्च-22	12778.00
				यू-2	800	सितंबर-22	
15	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	हरदुआगंज टीपीएस एक्सपें.-II	यू-1	660	अप्रैल-20	4826.49
16	तेलंगाना	नालगोंडा	यादादरी टीपीएस	यू-1	800	सितंबर-20	29965.00
				यू-2	800	सितंबर-20	
				यू-3	800	मार्च-21	
				यू-4	800	मार्च-21	
				यू-5	800	सितंबर-21	
17	उत्तर प्रदेश	एटा	जवाहरपुर एसटीपीपी	यू-1	660	मार्च-21	10556.27
				यू-2	660	जुलाई-21	
18	उत्तर प्रदेश	कानपुर	पंकी टीपीएस एक्सटें.	यू-1	660		
19	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र	ओबरा-सी एसटीपीपी	यू-1	660	अप्रैल-21	10416.00
				यू-2	660	दिसं-20	
	<b>कुल राज्य क्षेत्र</b>					<b>20846.15</b>	
			<b>निजी क्षेत्र</b>				
1	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम	भावनापडु टीपीपी फेज-I	यू-1	660	अनिश्चित	9343.15
				यू-2	660	अनिश्चित	
2	आंध्र प्रदेश	एसपीएसआर नेल्लोर	थामिनापट्टनम टीपीपी स्टेज-II/ मीनाक्षी एनर्जी प्रा. लि. एसजी-सेथर वेसेल्स टीजी-चाइनीज	यू-3	350	दिसं-20	
				यू-4	350	मार्च-21	
3	बिहार	बांका बिहार	सिरिया टीपीपी (जस इंफ्रा. टीपीपी)	यू-1	660	अनिश्चित	11120.00
				यू-2	660	अनिश्चित	
				यू-3	660	अनिश्चित	
				यू-4	660	अनिश्चित	
4	छत्तीसगढ़	जांजगीर-चंपा	अकालतारा टीपीपी (नैयारा)	यू-4	600	अप्रैल-22	27080.00
				यू-5	600	अनिश्चित	
				यू-6	600	अनिश्चित	
5	छत्तीसगढ़	रायगढ़	बिंजकोट टीपीपी	यू-3	300	अनिश्चित	7940.00
				यू-4	300	अनिश्चित	

6	छत्तीसगढ़	कोरबा	लैंको अमरकंटक टीपीपी-II	यू-3	660	अनिश्चित	10815.24
				यू-4	660	अनिश्चित	
7	छत्तीसगढ़	जांजगीर-चंपा	सिंहहीतराई टीपीपी	यू-1	600	अनिश्चित	8443.79
				यू-2	600	अनिश्चित	
8	छत्तीसगढ़	कोरबा	सलोरा टीपीपी	यू-2	135	अनिश्चित	1458.44
9	छत्तीसगढ़	राजगढ़	देवरी (विसा) टीपीपी	यू-1	600	अनिश्चित	3930.00
10	झारखंड	लातेहर	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-I/कारपोरेट पावर लि. ईपीसी-भेल	यू-1	270	अनिश्चित	2900.00
				यू-2	270	अनिश्चित	
11	झारखंड	लातेहर	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-II	यू-3	270	अनिश्चित	3182.00
				यू-4	270	अनिश्चित	
12	झारखंड	अंगरहा	तोरी टीपीपी फेज-I	यू-1	600	अनिश्चित	5700.00
				यू-2	600	अनिश्चित	
13	झारखंड	अंगरहा	तोरी टीपीपी फेज-II	यू-3	600	अनिश्चित	2500.00
14	महाराष्ट्र	अमरावती	अमरावती टीपीपी फेज-II	यू-1	270	अनिश्चित	6646.00
				यू-2	270	अनिश्चित	
				यू-3	270	अनिश्चित	
				यू-4	270	अनिश्चित	
				यू-5	270	अनिश्चित	
15	महाराष्ट्र	वर्धा	लैंको विदर्भा टीपीपी	यू-1	660	अनिश्चित	10433.00
				यू-2	660	अनिश्चित	
16	महाराष्ट्र	नासिक	नासिक टीपीपी फेज-II	यू-1	270	अनिश्चित	6789.00
				यू-2	270	अनिश्चित	
				यू-3	270	अनिश्चित	
				यू-4	270	अनिश्चित	
				यू-5	270	अनिश्चित	
17	महाराष्ट्र	यवतमाल	बिजोरा घनमुख टीपीपी	यू-1	300	अनिश्चित	3450.00
				यू-2	300	अनिश्चित	
18	महाराष्ट्र	धुले	शौरपुर टीपीपी	यू-2	150	अनिश्चित	2413.00
19	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	गोरजी टीपीपी	यू-1	660	अनिश्चित	3941.00
20	ओडिशा	झारसुगड़ा	इंड बराथ टीपीपी (ओडिशा)	यू-2	350	अनिश्चित	4001.00
21	ओडिशा	धंकानल	केवीके नीलांचल टीपीपी	यू-1	350	अनिश्चित	6000.00
22				यू-2	350	अनिश्चित	
यू-3				350	अनिश्चित		
23	ओडिशा	धंकानल	लैंको बाबंध टीपीपी	यू-1	660	अनिश्चित	10430.00
				यू-2	660	अनिश्चित	
24	ओडिशा	अंगुल	मली ब्राह्मणी टीपीपी	यू-1	525	अनिश्चित	6330.00
				यू-2	525	अनिश्चित	
	तमिलनाडु	तूतीकोरिन	तूतीकोरिन टीपीपी (इंड बराथ)	यू-1	660	अनिश्चित	3595.00
25	तमिलनाडु	तूतीकोरिन	तूतीकोरिन टीपीपी स्टे.-IV	यू-1	525	दिसं-20	3514.00
26	पश्चिम बंगाल	पूर्वी मेदिनीपुर	हिरनमये एनर्जी लि. (इंडिया पावर कारपोरेशन (हल्दिया) टीपीपी	यू-3	150	अनिश्चित	3307.00

कुल निजी क्षेत्र  
कुल जोड़

23730  
64996.15

165261.62  
165261.62

**देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं 25 मेगावाट से अधिक) की सूची**

नदियों व बेसिनों का राज्य-वार ब्यौरा								
क्रम सं.	स्कीम का नाम (निष्पादन एजेंसी)	क्षेत्र	जिला	आई.सी. (सं. x मेगावाट)	निष्पादनाधीन क्षमता (मेगावाट)	नदी/बेसिन	(31.05.2019 की स्थिति के अनुसार)	
							चालू होने की संभावना	अनुमानित लागत
<b>आंध्र प्रदेश</b>								
1	पोलावरम (एएजेंको/सिंचाई विभाग, ए.पी.)	राज्य	पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी	12x80	960.00	गोदावरी/ईएफआर	2021-23 (मार्च, 23)	5338.95 (2017)
<b>उप-जोड़: आंध्र प्रदेश</b>					<b>960.00</b>			
<b>अरुणाचल प्रदेश</b>								
2	कामेंग (नीपको)	केंद्रीय	पश्चिमी कामेंग	4x150	600.00	बिचोम व टेंगा / कामेंग/ब्रह्मपुत्र	2019-20 (दिसंबर, 19)	6179.96 (03/2015)
3	सुबानसिरी लोअर (एनएचपीसी)	केंद्रीय	एल. सुबानसिरी/ धेमाजी	8x250	2000.00	सुबानसिरी/ब्रह्मपुत्र	2023-24 *	18064 (04/15)
<b>उप-जोड़: अरुणाचल प्रदेश</b>					<b>2600.00</b>			
<b>हिमाचल प्रदेश</b>								
4	पारबती स्टे.-II (एनएचपीसी)	केंद्रीय	कुल्लू	4x200	800.00	पारबती/ब्यास/इंडस	2021-22 (दिसं., 21)	8398.76 (03/2015)
5	उहल-III (बीवीपीसीएल)	राज्य	मंडी	3x33.33	100.00	उहल/ब्यास/इंडस	2019-20 (जन., 20)	1281.52 (12/12)
6	स्वारा कुड्डू (एचपीपीसीएल)	राज्य	शिमला	3x37	111.00	पब्वर/टोन्स/यमुना/ गंगा	2019-20 (मार्च, 20)	1181.9 (03/12)
7	शोंगटोंग करछम (एचपीपीसीएल)	राज्य	किन्नौर	3x150	450.00	सतलज/इंडस	2023-25 (अप्रैल, 24)	3316.35
8	बजोली होली (जीएमआर)	निजी	चंबा	3x60	180.00	रावी/इंडस	2019-20 (मार्च, 20)@	2205.00
9	सोरांग (एचएसपीसीएल)	निजी	किन्नौर	2x50	100.00	सोरांग/सतलज/इंडस	2019-20 (मार्च, 20)@	586.00 (2006)
10	टंगनु रोमई (टीआरपीजी)	निजी	शिमला	2x22	44.00	पब्वर/टोन्स/यमुना/ गंगा	2021-22 *	641.89 (01/17)
11	टिडोंग-I (स्टेटक्राफ्ट आईपीएल)	निजी	किन्नौर	100.00	100.00	टिडोंग/सतलज/इंडस	2021-22 (अक्तू., 21)	1286.27 (01/17)
<b>उप-जोड़: हिमाचल प्रदेश</b>					<b>1885.00</b>			
<b>जम्मू व कश्मीर</b>								
12	पकलदुल (सीवीपीपीएल)	केंद्रीय	किश्तवाड़	4x250	1000.00	मरूसदर/चिनाब/ इंडस	2023-24 (अग., 23)	8112.1 (03/13)
13	परनई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	पूंच	3x12.5	37.50	झेलम/इंडस	2021-22 (मार्च, 22)	640.00
14	लोअर कलनई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	किश्तवाड़	2x24	48.00	चिनाब/ इंडस	2022-23 *	576.87
15	# रत्ले (आरएचईपीपीएल)	निजी	किश्तवाड़	4x205 + 1x30	850.00	चिनाब/ इंडस	2023-24 *	6257.00 (09/2013)
<b>उप-जोड़: जम्मू व कश्मीर</b>					<b>1935.50</b>			
<b>केरल</b>								
16	पल्लीवसल (केएसईबी)	राज्य	इदुक्की	2x30	60.00	मुदीरापुझा/पेरियार/ बेपोर पेरियार/ डब्ल्यूएफआर	2021-22 (दिसं., 21)	550.00
17	थोटियार (केएसईबी)	राज्य	इदुक्की	1x30+1x10	40.00	थोटियार/पेरियार/ बेपोर पेरियार/ डब्ल्यूएफआर	2020-21 (दिसं., 20)	280 (2018)
<b>उप-जोड़: केरल</b>					<b>100.00</b>			
<b>मध्य प्रदेश</b>								
18	## महेश्वर (एसएमएचपीसीएल)	निजी	खरगोन व खंडवा	10x40	400.00	नर्मदा/सीआईआरएस	2021-22 *	8121.00
<b>उप-जोड़: मध्य प्रदेश</b>					<b>400.00</b>			
<b>महाराष्ट्र</b>								
19	कोयना लेफ्ट बैंक (डब्ल्यूआरडी, एमएच)	राज्य	सतारा	2x40	80.00	कोयना/कृष्णा/ ईएफआर	2022-23 *	691.95
<b>उप-जोड़: महाराष्ट्र</b>					<b>80.00</b>			
<b>पंजाब</b>								
20	शाहपुरकंडी (पीएसपीसीएल/सिंचाई विभाग, पंजाब)	राज्य	गुरदासपुर	3x33+3x33+1x8	206.00	रावी/इंडस	2021-22 (नव., 21)	2715.70

	उप-जोड़: पंजाब				206.00			
	सिक्किम							
21	तीस्ता स्टे.-VI एनएचपीसी	केंद्रीय	दक्षिणी सिक्किम	4x125	500.00	तीस्ता/ब्रह्मपुत्र	2023-24 *	5748.04
22	भास्मे (गति इंफ्रास्ट्रक्चर)	निजी	पूर्वी सिक्किम	3x17	51.00	रांगपो/तीस्ता/ब्रह्मपुत्र	2022-23 *	746.01 (03/2018)
23	रंगित-IV (जल पावर)	निजी	पश्चिमी सिक्किम	3x40	120.00	रंगित/तीस्ता/ब्रह्मपुत्र	2022-23 *	1692.60(06/2016)
24	रंगित-II (सिक्किम हाइड्रो)	निजी	पश्चिमी सिक्किम	2x33	66.00	ग्रेटर रंगित/तीस्ता/ब्रह्मपुत्र	2021-22 *	496.44
25	रोंगनीचू (मध्य भारत)	निजी	पूर्वी सिक्किम	2x48	96.00	रोंगनीचू/तीस्ता/ब्रह्मपुत्र	2020-21 (सितं., 20)	1187.00
26	पनन (हिमगिरी)	निजी	उत्तरी सिक्किम	4x75	300.00	रांगयोंगचू/तीस्ता/ब्रह्मपुत्र	2023-24 *	2516.00
	उप-जोड़: सिक्किम				1133.00			
	तमिलनाडु							
27	कुंडहा पम्पड स्टोरेज	राज्य	नीलगिरिस	1x125	125.00	गोदावरी/ईएफआर	2022-23	989.80(2014-15)
	उप-जोड़: तमिलनाडु				125.00			
	उत्तराखंड							
28	लता तपोवन (एनटीपीसी)	केंद्रीय	चमोली	3x57	171.00	धौलीगंगा/अलकनंदा व गंगा	2023-24 *	1801.07 (07/2012)
29	तपोवन विष्णुगाड (एनटीपीसी)	केंद्रीय	चमोली	4x130	520.00	धौलीगंगा/अलकनंदा व गंगा	2020-21 (दिसं., 20)	3846.30 (01/2014)
30	टिहरी पीएसएस (टीएचडीसी)	केंद्रीय	टिहरी गढ़वाल	4x250	1000.00	भीलंगना/भागीरथी/गंगा	2021-23 (जून, 22)	4401.90 (01/2017)
31	विष्णुगाड पीपलकोटि (टीएचडीसी)	केंद्रीय	चमोली	4x111	444.00	अलकनंदा/गंगा	2022-23 (दिसं., 22)	3789.61(05/17)
32	नैटवर मोरी (एसजेवीएनएल)	केंद्रीय	उत्तरकाशी	2x30	60.00	टोन्स/यमुना/गंगा	2021-22 (दिसं, 21)	648.33(10/2016)
33	व्यासी (यूजेवीएनएल)	राज्य	देहरादून	2x60	120.00	यमुना/गंगा	2020-21 (जून, 20)	936.23
34	फाटा ब्यूंग (लैंको)	निजी	रुद्रप्रयाग	2x38	76.00	मंदाकिनी/अलकनंदा गंगा	2021-22 *	1225.53
35	सिंगोली भटवारी (एलएंडटी)	निजी	रुद्रप्रयाग	3x33	99.00	मंदाकिनी/अलकनंदा गंगा	2019-20 (मार्च, 20)@	1694.00
	उप-जोड़: उत्तराखंड				2490.00			
	पश्चिम बंगाल							
36	रम्माम-III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	दार्जिलिंग	3x40	120.00	रम्माम/रंगित/तीस्ता ब्रह्मपुत्र	2021-22 (फर., 22)	1592.34
	उप-जोड़: पश्चिम बंगाल				120.00			
	कुल:				12034.50			
* कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध								
नदी बेसिन-वार सारांश								
	देश में नदी बेसिन	-	क्षमता (मेगावाट)					
	सीआईआरएस		400.00					
	इंडस		3871.50					
	ब्रह्मपुत्र		3853.00					
	गंगा		2645.00					
	ईएफआर		1165.00					
	डब्ल्यूएफआर		100.00					
	कुल जोड़		12034.50					

# जेएंडके सरकार, पीडीडी ने दिनांक 09.02.2017 को पीपीए समाप्त कर दिया है और जेकेएसपीडीसी को परियोजना लेने के लिए निर्देश दिए हैं। संयुक्त उद्यम मोड में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एनएचपीसी (51 प्रतिशत हिस्सा) और जेकेएसपीडीसी (49 प्रतिशत हिस्सा) के बीच 03.02.2019 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था।

## पीएफसी ने शीर्ष देनदार के रूप में 1 जून, 2016 से एसएमएचपीसीएल में 51 प्रतिशत की मुख्य इक्विटी अधिग्रहित की है। मामला न्यायाधीन है।

@ मुद्दे



संभावित न्यूक्लियर उत्पादन परियोजनाओं का ब्यौरा (2019-22) (31.03.2019 की स्थिति के अनुसार)					
क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र	राज्य	ईंधन प्रकार	क्षमता
1	काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट	केंद्रीय	गुजरात	न्यूक्लियर	1400
2	राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन	केंद्रीय	राजस्थान	न्यूक्लियर	1400
3	पीएफबीआर	केंद्रीय	तमिलनाडु	न्यूक्लियर	500
	कुल (न्यूक्लियर)				3300

\*\*\*\*\*